फरवरी 2015

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

परामर्श
शिवानी वर्मा
देवेन्द्र जोशी

संपादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग
अल्पना राठौर

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग

मतदान के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

इस अंक में

- **पंचायत निर्वाचन** : प्रथम चरण में 62 हजार 30 पंच निर्विरोध निर्वाचित 3
- **नवाचार** : वेब पोर्टल पंचायत दर्पण 7
- **जलवायु परिवर्तन** : जलवायु परिवर्तन और मध्यप्रदेश 9
- **जलवायु परिवर्तन - अर्थव्यवस्था** : ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन 13
- **जलवायु परिवर्तन - ऊर्जा** : ग्रामीण ऊर्जा के नये स्रोत 16
- **जलवायु परिवर्तन - गाँव** : क्लायमेट स्मार्ट गाँव 20
- **जलवायु परिवर्तन - कृषि** : क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 23
- **जलवायु परिवर्तन** - मौसम परिवर्तन की चुनौती का सामना 27
- **पंचायत** : दक्षिण भारतीय इतिहास में पंचायती राज 29
- **पंचायत गजट** : मध्यप्रदेश ग्रामीण नल-जल योजना का संचालन और संधारण नियम 32

आयुक्त की कलम से

प्रिय पाठको,

यह पंचायत निर्वाचन का समय है। निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाने में मतदाता की अहम भूमिका होती है। पंचम पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के प्रथम व द्वितीय चरण के मतदान सम्पन्न हो चुके हैं। मतदान की जानकारी हम पंचायत निर्वाचन स्तम्भ में प्रकाशित कर रहे हैं।

पंचायत राज संचालनालय द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल "पंचायत दर्पण" का निर्माण किया गया है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से पंचायत के तीनों स्तरों पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्य, बजट तथा व्यय की जानकारी उपलब्ध है। क्रियान्वयन की पारदर्शी व्यवस्था वेब पोर्टल पंचायत दर्पण की समस्त जानकारी को हमने नवाचार स्तम्भ में शामिल किया है।

आज के दौर में सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या है जलवायु परिवर्तन, मौसम के इस बदलाव से मनुष्य सहित समूचे जीवन के अस्तित्व पर संकट है।

आवश्यकता है कि हम मौसम के इस बदलाव को समझें और इससे होने वाले प्रभाव से बचाव की तैयारी करें। विषय की गंभीरता, भविष्य की चेतावनी और घातक परिणामों से बचाव के लिए इस अंक में जलवायु परिवर्तन पर विशेष संदर्भ सामग्री प्रकाशित की जा रही है। उम्मीद है हमारे ग्रामीण भाई इससे सजग होकर भविष्य की चुनौती का सामना करने की तैयारी कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश में जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव से बचने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एप्को मध्यप्रदेश द्वारा लिखित जलवायु परिवर्तन और मध्यप्रदेश आलेख में जलवायु परिवर्तन से खेती के बचाव की जानकारी को हम जलवायु परिवर्तन स्तंभ में प्रकाशित कर रहे हैं।

प्रदेश के विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है। जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र में होने वाले परिणामों के प्रभावों से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इस पर केन्द्रित आलेख 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन' को हमने जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था स्तंभ में शामिल किया है।

इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन स्तंभ में ग्रामीण ऊर्जा के नये स्रोत, क्लायमेट स्मार्ट गाँव, क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर तथा मौसम परिवर्तन की चुनौती का सामना आलेख समाहित किये हैं। इसी अंक के पंचायत स्तंभ में दक्षिण भारतीय इतिहास में पंचायती राज का ऐतिहासिक परिदृश्य और अंत में पंचायत गजट में मध्यप्रदेश ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना संचालन एवं संधारण नियम, 2014 तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में कॉलोनियों का विकास नियम, 2014।

उम्मीद है मौसम परिवर्तन की नई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

पंचायत आम निर्वाचन

प्रथम चरण में 62 हजार 30 पंच निर्विरोध निर्वाचित

पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के प्रथम चरण में पंच पद के 96 हजार 634 पदों में से 62 हजार 30 पंच पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। मतदान 25 हजार 404 पदों के लिए हुआ। पंच के 7 हजार 703 पदों के लिए कोई नाम निर्देशन-पत्र नहीं भरा गया। कुल 1497 नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किये गये। प्रथम चरण में 82.45 प्रतिशत मतदान हुआ। इसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 82.9, महिलाओं का 81.9 प्रतिशत और अन्य का 6.4 प्रतिशत है।

सबसे अधिक मतदान राजगढ़ जिले के विकासखंड ब्यावरा में 91.92 प्रतिशत हुआ। इसमें पुरुष 93.25 और महिलाओं का मतदान प्रतिशत 90.44 रहा। सबसे कम जबलपुर जिले के विकासखंड पनागर में 24 प्रतिशत मतदान हुआ जिसमें पुरुषों का 24 और महिलाओं का भी 24 प्रतिशत मतदान रहा।

विकासखंड नीमच, सीहोर और राजगढ़ में भी 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। नीमच में 90.80, सीहोर में 90.39 और राजगढ़ में 90.07 प्रतिशत मतदान हुआ।

प्रथम चरण में पंच के 96 हजार 634, सरपंच के 5 हजार 834, जनपद सदस्य के 1804 और जिला पंचायत सदस्य के 225 पदों के लिए अधिसूचना जारी की गयी थी।

सरपंच के 5834 पदों में से 132 पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ। सरपंच पद के 19 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन-पत्र संवीक्षा के बाद निरस्त कर दिए गए। कुल 31 ग्राम पंचायतों के लिए कोई नाम निर्देशन-पत्र दाखिल नहीं किये गये।

जनपद सदस्य के 1804 पदों में से 33 निर्विरोध निर्वाचित हो गए । चार नाम निर्देशन-पत्र खारिज हुए। जिला पंचायत सदस्य के 225 पदों में 2 पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न हो चुका है।

बालाघाट जिले को छोड़कर शेष जिलों में सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान हुआ। बालाघाट जिले में सुबह 7 से अपरान्ह 2 बजे तक मतदान हुआ। पंच और सरपंच पद के मतों की गणना मतदान के बाद मतदान केन्द्र में ही हुई। इनके परिणाम 17 जनवरी को विकासखण्ड मुख्यालय में घोषित किये गये। जिला एवं जनपद सदस्य के मतों की गणना विकासखण्ड मुख्यालय पर 22 जनवरी को हुई। सभी चरणों के लिये जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 27 फरवरी को विकासखण्ड मुख्यालय पर होगी। जिला पंचायत सदस्य के मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 28 फरवरी को की जायेगी।

प्रथम चरण में जिला मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इंदौर, झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, रीवा, सतना, सीधी और शहडोल जिले के 82 विकासखण्डों में मतदान हुआ।

इस चरण में विकासखण्ड श्योपुर, विजयपुर, अम्बाह, पोरसा, लहार, रौन, बदरवास, खनियाधाना, गुना, मुंगावली, सागर, रेहली, केसली, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, राजनगर, छतरपुर, पथरियां, जवेरा, सोहावल, मझगवां, उचेहरा, नईगढ़ी, मऊगंज, हनुमना, सीधी, सोहागपुर, बहोरीबंद, रीठी, पनागर, सिहोरा, कुंडम, जबलपुर, मेंहदवानी, शहपुरा, नारायणगंज, बीजाडांडी, निवास, बिरसा, वारासिवनी, खैरलांजी, बैहर, बरघाट, सिवनी, चैरई, मोहखेड़ा, बिछुआ, छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, आमला, शाहपुर, बैतूल, सोहागपुर, केसला, सिलवानी, साँची, विदिशा, बासौदा, सीहोर, ब्यावरा, राजगढ़, आगर, शाजापुर, हरसूद, पुनासा, बलड़ी, महेश्वर, बड़वाह, राजपुर, ठीकरी, पेटलावद, नालछा, गंधवानी, धरमपुरी, मनावर, इंदौर, सांवेर, घट्टिया, खाचरौद, आलोट, मंदसौर और नीमच में मतदान और मतगणना हुई।

● राजेश पाण्डेय

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग

जिला व जनपद पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का निर्वाचन 9 मार्च को

जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये 9 मार्च को प्रत्येक जिले में सम्मिलन होगा। पहले यह सम्मिलन 4 मार्च को होना था। विधानसभा की कार्यवाही के कारण यह संशोधन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं।

पंचायत आम निर्वाचन
द्वितीय चरण में हुआ 83.11 प्रतिशत मतदान

पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के द्वितीय चरण में 83.11 प्रतिशत मतदान हुआ। इसमें पुरुषों का मतदान 83.12 प्रतिशत, महिलाओं का 83.1 प्रतिशत और अन्य का 14.28 प्रतिशत है। द्वितीय चरण में 43 जिलों के 94 विकासखण्डों में मतदान हुआ। इसमें कुल मतदाता एक करोड़ दो लाख 66 हजार थे। कुल 20 हजार 130 मतदान केन्द्र बनाये गये थे। तृतीय चरण का मतदान 22 फरवरी को होगा।

द्वितीय चरण में जिला पंचायत सदस्य के 248, जनपद पंचायत सदस्य के 2015, सरपंच के 6717 और पंच के एक लाख 7 हजार 848 पद के निर्वाचन के लिये अधिसूचना जारी की गई थी। इनमें से जिला पंचायत सदस्य के एक, जनपद पंचायत सदस्य के 28, सरपंच के 161 और पंच के 67439 पद के लिये निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हो चुका है। अब 247 जिला पंचायत सदस्य, 1986 जनपद पंचायत सदस्य, 6525 सरपंच और 32684 पंच पद के लिये मतदान 5 फरवरी को हुआ। सरपंच पद के मतों की गणना मतदान केन्द्र पर ही मतदान के तुरन्त बाद होगी। सरपंच एवं पंच के पदों के परिणाम की घोषणा 9 फरवरी को विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के मतों की गणना 8 फरवरी को विकासखण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से की जायेगी। जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 27 फरवरी और जिला पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 28 फरवरी को की जायेगी। मतदान के दौरान 121 ईव्हीएम तकनीकी खराबी के कारण बदली गई।

जिला शिवपुरी के विकासखण्ड नरवर के मतदान केन्द्र 144 के पीठासीन अधिकारी श्री वल्लभ शर्मा और जिला धार के तिरला विकासखण्ड के रिजर्व पीठासीन अधिकारी श्री कृष्ण बागेश्वर की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है। इनके परिजन को पाँच-पाँच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

विकासखण्डवार मतदान का प्रतिशत

क्र.	जिला	विकासखण्ड	पुरुष	महिला	अन्य	कुल
1.	श्योपुर	कराहल	81.28	81.52	0.00	81.39
2.	मुरैना	मुरैना	83.03	83.80	0.00	83.36
3.	मुरैना	जौरा	83.47	83.91	33.33	83.66
4.	भिण्ड	अटेर	74.41	76.43	0.00	75.29
5.	भिण्ड	भिण्ड	75.38	79.69	0.00	77.53
6.	ग्वालियर	भितरवार	86.48	85.31	0.00	85.96
7.	ग्वालियर	मुरार	83.97	85.12	0.00	84.47
8.	शिवपुरी	पिछोर	89.78	88.06	0.00	88.98
9.	शिवपुरी	कोलारस	89.24	87.24	0.00	88.32
10.	शिवपुरी	नरवर	88.02	86.25	0.00	87.21
11.	गुना	आरोन	92.26	90.51	0.00	91.45
12.	गुना	राघौगढ़	87.08	84.20	0.00	85.72
13.	अशोकनगर	अशोकनगर	88.00	84.00	0.00	86.00
14.	सागर	राहतगढ़	86.95	85.01	0.00	86.05
15.	सागर	शाहगढ़	83.39	82.25	0.00	82.87
16.	सागर	खुरई	86.16	83.70	0.00	85.01
17.	सागर	जैसीनगर	80.65	78.57	0.00	79.71
18.	टीकमगढ़	जतारा	88.78	89.12	0.00	88.94

क्र.	जिला	विकासखण्ड	पुरुष	महिला	अन्य	कुल
19.	टीकमगढ़	पलेरा	81.56	65.46	0.00	73.99
20.	छतरपुर	बड़ामलहरा	81.23	80.65	100.00	80.97
21.	छतरपुर	बकस्वाहा	83.18	83.35	0.00	83.26
22.	छतरपुर	बारीगढ़	79.44	81.48	0.00	80.40
23.	दमोह	दमोह	84.66	84.72	0.00	84.69
24.	दमोह	बटियागढ़	81.00	83.42	0.00	82.12
25.	सतना	अमरपाटन	70.06	74.03	0.00	72.45
26.	सतना	नागौद	78.23	81.10	0.00	79.66
27.	सतना	रामनगर	73.52	79.54	0.00	76.53
28.	रीवा	रायपुर कर्चुलियान	75.62	80.19	0.00	77.79
29.	रीवा	रीवा	77.20	82.56	0.00	79.85
30.	रीवा	गंगेव	72.98	79.62	0.00	76.13
31.	सीधी	सिहावल	68.64	78.92	0.00	73.46
32.	सीधी	कुसमी	81.40	83.29	0.00	82.32
33.	सिंगरोली	चितरंगी	67.30	68.25	0.00	67.73
34.	शहडोल	बुढ़ार	81.77	82.87	0.00	82.32
35.	शहडोल	गोहपारू	84.94	87.33	0.00	86.12
36.	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	83.98	83.76	0.00	83.87
37.	उमरिया	मानपुर	78.32	74.20	0.00	76.26
38.	कटनी	बड़वाहा	79.93	84.05	0.00	81.90
39.	कटनी	कटनी	80.07	82.28	0.00	81.14
40.	डिण्डौरी	डिण्डौरी	79.21	81.24	0.00	80.23
41.	डिण्डौरी	अमरपुर	81.39	83.45	0.00	82.42
42.	मण्डला	नैनपुर	82.42	84.79	0.00	83.59
43.	मण्डला	बिछिया	81.77	83.54	0.00	82.65
44.	मण्डला	मवई	60.89	61.17	0.00	61.03
45.	बालाघाट	कटंगी	87.66	88.87	0.00	88.26
46.	बालाघाट	किरनापुर	83.00	82.00	0.00	82.50
47.	बालाघाट	लांजी	79.83	85.76	0.00	82.74
48.	सिवनी	धनोरा	86.40	86.46	0.00	86.43
49.	सिवनी	घंसौर	84.01	85.58	0.00	84.77
50.	सिवनी	लखनादौन	87.69	87.86	0.00	87.77
51.	छिन्दवाड़ा	पांढुर्ना	87.21	87.89	0.00	87.54
52.	छिन्दवाड़ा	सौसर	89.82	88.19	0.00	89.05
53.	बैतूल	आठनेर	76.30	72.40	0.00	74.35
54.	बैतूल	मुलताई	77.40	80.00	0.00	78.70
55.	बैतूल	चिचोली	84.80	89.80	0.00	87.30
56.	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	80.24	89.24	100.00	84.84

क्र.	जिला	विकासखण्ड	पुरुष	महिला	अन्य	कुल
57.	होशंगाबाद	पिपरिया	86.69	85.04	0.00	85.93
58.	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	87.71	85.79	0.00	86.81
59.	रायसेन	उदयपुरा	82.23	81.24	0.00	81.73
60.	रायसेन	बैगमगंज	86.96	83.98	0.00	85.48
61.	रायसेन	गैरतगंज	86.19	83.23	0.00	84.85
62.	विदिशा	ग्यारसपुर	89.82	84.87	50.00	87.43
63.	विदिशा	कुरवाई	89.41	85.04	0.00	87.36
64.	सीहोर	इछावर	82.94	82.31	0.00	82.64
65.	सीहोर	नसरुल्लागंज	90.95	88.24	0.00	89.66
66.	राजगढ़	खिलचीपुर	94.73	92.93	0.00	93.87
67.	राजगढ़	सारंगपुर	91.75	92.25	0.00	91.78
68.	आगर-मालवा	बड़ौद	91.79	89.04	0.00	90.46
69.	शाजापुर	मो.बडोदिया	92.63	88.84	0.00	90.82
70.	देवास	सोनकच्छ	91.71	87.81	100.00	89.93
71.	देवास	टोंकखुर्द	58.30	56.38	0.00	57.34
72.	देवास	देवास	90.91	87.59	0.00	89.32
73.	खण्डवा	खण्डवा	82.20	83.10	0.00	82.60
74.	खण्डवा	खालवा	80.17	79.80	0.00	80.11
75.	बुरहानपुर	बुरहानपुर	84.30	82.80	33.30	83.57
76.	खरगौन	खरगौन	86.00	85.79	0.00	85.90
77.	खरगौन	कसरावद	87.70	87.50	66.66	87.60
78.	खरगौन	झिरन्या	83.31	82.01	0.00	82.67
79.	बड़वानी	पाटी	83.32	79.44	0.00	81.42
80.	बड़वानी	सेंधवा	83.20	82.10	0.00	82.70
81.	झाबुआ	मेघनगर	89.32	88.49	0.00	88.91
82.	झाबुआ	थांदला	89.03	87.54	0.00	88.28
83	धार	धार	85.21	80.34	0.00	82.86
84.	धार	बदनावर	82.06	84.36	0.00	83.45
85.	धार	तिरला	86.92	84.95	0.00	85.91
86.	धार	कुक्षी	79.28	77.63	0.00	78.46
87.	धार	उमरबन	89.69	82.09	0.00	85.81
88.	उज्जैन	उज्जैन	91.89	88.14	100.00	90.09
89.	उज्जैन	बड़नगर	90.56	86.63	100.00	88.67
90.	रतलाम	सैलाना	88.54	86.97	0.00	87.76
91.	रतलाम	बाजना	83.76	82.97	20.00	83.36
92.	मंदसौर	सीतामऊ	86.83	86.71	0.00	86.77
93.	मंदसौर	भानपुरा	85.89	84.70	0.00	85.32
94.	नीमच	जावद	90.88	89.59	60.00	90.20

● ऋतु पाण्डेय

वेब पोर्टल पंचायत दर्पण

पंचायत दर्पण वेब पोर्टल पर अब तक त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लगभग 500000 कार्यों की प्रविष्टि की जा चुकी है।

पंचायत दर्पण
(www.mppanchayatdarpan.gov.)
वेब पोर्टल का निर्माण एवं क्रियान्वयन

तिहत्तरवें संविधान संशोधन के तहत, पंचायतों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं ग्रामीण जनों की कल्याण उन्मुख योजनाओं का क्रियान्वयन सशक्त रूप से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित सरपंच (जिनकी शिक्षा अति न्यून है) एवं पंचायत सचिव जिसका दायरा सीमित है, के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों की लगभग 150 योजनाओं एवं उप-योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रकार उन्हें प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन के लिये दोहरी वित्तीय लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) तथा महालेखा परीक्षक द्वारा सूचीबद्ध सभी रिपोर्ट संधारित करनी होती है। ग्राम पंचायतें इन आडिट रिपोर्टों को वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप ठीक तरह से संधारित नहीं कर पाती हैं।

नवाचार योजनाओं/परियोजनाओं का क्रियान्वयन (पंचायत दर्पण वेब पोर्टल का निर्माण)

पंचायत राज संचालनालय तथा प्रदेश सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए पंचायतों में समवर्ती लेखा प्रणाली की शुरुआत कर नवाचार प्रारंभ किया है, साथ ही योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग तथा क्रियान्वयन के लिए "पंचायत दर्पण"

ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित किया है। इस वेब पोर्टल की अनूठी खूबी यह है कि पंचायत द्वारा केवल दो प्रविष्टियों यानी रोकड़ बही रजिस्टर और कार्य रजिस्टर तैयार करने पर, खातों और वित्तीय रखरखाव के लिए महालेखा परीक्षक की सांविधिक रिपोर्ट तथा सभी वैधानिक योजनावार ब्यौरा इस सॉफ्टवेयर के द्वारा स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर में डाटा वित्तीय वर्ष 2011-12 से लिया गया है। "पंचायत दर्पण" पंचायत स्तर पर पूरी जानकारी रखता है तथा वेबसाइट के माध्यम से ग्राम पंचायतों को वितरित राशि और पंचायतों के तीनों स्तरों पर किए गए कार्य को पब्लिक डोमेन में प्राप्त किया जा सकता है।

हमारे राज्य की त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रणाली में सभी पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत पदाधिकारियों, पंचायत के अचल संपत्ति का विवरण, भौगोलिक जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्य के विवरण फोटो के साथ, जैसी बुनियादी जानकारी देखी जा सकती है। विभिन्न योजनाओं की तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के विवरण के साथ, आय, सामग्री के व्यय विवरण के साथ रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।

वेबपोर्टल के माध्यम से सी. एण्ड ए.जी. के द्वारा निर्धारित किये गये आठ डाटा प्रपत्र की जानकारी ऑडिट के संदर्भ में प्राप्त किये जाने के प्रावधान के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के आय-व्यय का अन्य विवरण भी निर्धारित एकाउंटिंग हेड अनुसार प्राप्त किये जाने का प्रावधान भी रखा गया है। भारत सरकार के वित्तीय पोर्टल प्रिया साफ्ट में सीधे इस पोर्टल के डाटा को अंतरित करने का प्रावधान किया जा रहा है।

यह प्रणाली 13 वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टाम्प डयूटी, अधिरोपण और करों की वसूली, मनरेगा कन्वर्जेंस, आदि में

पंचायत राज संचालनालय तथा प्रदेश सरकार ने पंचायतों में समवर्ती लेखा प्रणाली की शुरुआत कर नवाचार प्रारंभ किया है, साथ ही योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन के लिए "पंचायत दर्पण" ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित किया है। इस वेब पोर्टल की अनूठी खूबी यह है कि पंचायत द्वारा केवल दो प्रविष्टियों यानी रोकड़ बही रजिस्टर और कार्य रजिस्टर तैयार करने पर, खातों और वित्तीय रखरखाव के लिए महालेखा परीक्षक की सांविधिक रिपोर्ट तथा सभी वैधानिक योजनावार ब्यौरा इस सॉफ्टवेयर के द्वारा स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है।

पंचायतों को दिए गए बजट के विवरण को संधारित करने में सक्षम है।

प्रक्रियाओं में आमूल-चूल व्यवस्थित बदलाव एवं संस्था को सुदृढ़ करना :- ऑनलाइन वेब पोर्टल "पंचायत दर्पण" पंचायत स्तर पर पूरी जानकारी रखता है तथा वेबसाइट के माध्यम से ग्राम पंचायतों को वितरित राशि और पंचायतों के तीनों स्तरों पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्य के ब्यौरे को पब्लिक डोमेन में प्राप्त किया जा सकता है। वेब पोर्टल पर त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं में दिये गये बजट की जानकारी उपलब्ध रहती है तथा उसके विरुद्ध पंचायतें कार्यवार व्यय प्रविष्ट करने के साथ सपोर्ट में किये गये कार्य के फोटोग्राफ्स, माप पुस्तिका तथा बिल वाउचर्स स्केन कर प्रविष्ट करती हैं जिससे आडिट के लिए भी यह डाटा बहुत उपयोगी सिद्ध हो पाया। इस व्यवस्था से पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन मानिटरिंग संभव हो पाई जिससे मैन्युअल प्रक्रियाओं में व्यवस्थित बदलाव परिलक्षित हुआ है और संस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़े हैं।

जनता को सेवायें प्रदान करने की व्यवस्था को दक्ष तथा भ्रष्टाचार मुक्त करना :- ऑनलाइन वेब पोर्टल "पंचायत दर्पण" पर पंचायतों तथा आमजन के लिये निम्न सुविधाएं पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं :-

- पंचायत में संचालित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी
- परिपत्र एवं आदेश
- सूचना का अधिकार- संबंधित अपीलीय अधिकारी की जानकारी
- प्रत्येक पंचायत की सामान्य जानकारी- सरपंच-सचिव का इत्यादि
- राज्य एवं पंचायत स्तर पर प्रत्येक अधिकारी का नाम, संपर्क नंबर
- सिटीजन चार्टर
- हेल्प डेस्क- ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से शिकायत की सुनवाई।

इस व्यवस्था से लोगों को आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकती है। जानकारी सभी को पब्लिक डोमेन में दिखाई जाने पर तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने की ओर प्रभावी कदम है।

पंचायत दर्पण वेब पोर्टल पर अब तक त्रि-स्तरीय पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लगभग 500000 कार्यों की प्रविष्टि की जा चुकी है।

● **विनोद यादव**

जलवायु परिवर्तन और मध्यप्रदेश

जलवायु परिवर्तन से खेती का बचाव

जलवायु परिवर्तन- एक बड़े क्षेत्र में लम्बे समय की मौसमी दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं, जबकि मौसम दिन-प्रतिदिन के वर्षा, तापमान इत्यादि की दशा और परिवर्तन को बताता है। किसी भी जगह के मौसम में बहुत जल्दी बदलाव हो जाता है, लेकिन जलवायु को बदलने में सैकड़ों वर्ष का समय लगता है। इसलिए जलवायु का बदलाव दिखलायी नहीं देता। पर्यावरण की व्यवस्था और चक्र में अस्वाभाविक परिवर्तन होना जलवायु परिवर्तन कहलाता है। तापमान, मौसम, वर्षा और हवा हमें जलवायु परिवर्तन का अहसास कराते हैं। जैसे सामान्य तापमान में बढ़ोत्तरी, मौसम में अत्यधिक बदलाव, बहुत तेज गर्मी-सर्दी, बहुत तेज बारिश, आंधी, तूफान व ओलावृष्टि आदि।

प्राकृतिक कारणों के अलावा अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि मानवीय गतिविधियों का इसमें बड़ा हाथ है। मानवीय गतिविधियां जैसे वनों का विनाश, शहरीकरण और कुछ कृषि तथा पशुपालन संबंधित गतिविधियाँ भी जैसे खेती में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना आदि शामिल है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव - जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मनुष्य के रहन-सहन, जीवनशैली और आजीविका पर भी पड़ता है। जैसे मौसम का अत्यधिक गर्म और ठण्डा होना, वर्षा के क्रम में परिवर्तन होना, कहीं अधिक वर्षा होना तो कहीं सूखा पड़ना। जल संसाधनों पर प्रभाव पड़ना जैसे भूमिगत जलस्तर में कमी आना और तापमान व वर्षा का प्रभाव कृषि पर पड़ता है। इसी के साथ बदलती जलवायु वन्य जीवों और जंगलों को भी प्रभावित करती है। यदि जलवायु में परिवर्तन इसी प्रकार होता रहा तो बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूल न बना सकने वाले कई पशु व पेड़-पौधे समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएंगे।

यह बहुत जरूरी है कि हम बदलाव को समझें और उसमें ढलने की कोशिश करें। तापमान और मौसम में होने वाले बदलाव मामूली लग सकते हैं लेकिन इसके विभिन्न प्रभावों बाढ़, सूखा, मौसम, जल संसाधन, खेती, फसलों, मानव स्वास्थ्य, जंगल और वन्य जीवों से निपटने की तैयारी करना अतिआवश्यक है।

जलवायु परिवर्तन और मध्यप्रदेश- मध्यप्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध मध्यप्रदेश और भी संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन का उन प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिस पर लोगों की आजीविका निर्भर है। इसलिए यह अत्यंत

आवश्यक है कि हम संभावित प्रभावों को समझें और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने की कोशिश करें।

मध्यप्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग के अधीन पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) में मध्यप्रदेश जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र (SKMCCC) को राज्य के जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर कार्य करने की नोडल संस्था घोषित किया गया है। यह संस्था जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को विकास के मुद्दों में शामिल करने के लिए राज्य सरकार के विभागों की क्षमता को बढ़ाने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। संस्था द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में काम करने वाले सरकारी विभागों में विभिन्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को जलवायु परिवर्तन से आने वाली चुनौतियों और उनका सामना करने के लिए सम्भावित नीतियों और कार्ययोजनाओं में सहयोग प्रदान किया जाता है।

मध्यप्रदेश जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र (SKMCCC): मध्यप्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना का निर्माण किया। यह योजना शासन, विषय विशेषज्ञों, नागरिकों और सभी सहभागियों के परामर्श और सहभागिता से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना जलवायु परिवर्तन के संबंध में किये गये वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है। ये अध्ययन बताते हैं कि परिवर्तन के लिये जिम्मेदार गैसों का उत्सर्जन किन-किन क्षेत्रों में हो रहा है और क्या-क्या योजनाएं होंगी, किन-किन जिलों, सामाजिक संस्थाओं, प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, कृषि, वन आदि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कौनसे ऊर्जा के क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा।

जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र देश की अन्य जानी-मानी वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ जलवायु परिवर्तन और इससे होने वाले विभिन्न प्रभावों का अध्ययन कर रहा है।

जलवायु परिवर्तन कारण और परिणाम

पृथ्वी पर एक समय ऐसा भी था जब लोग निसर्ग चक्र के अनुरूप ही जीवन जीते थे। ऋतुओं का पहिया निर्धारित गति के साथ निर्बाध गति से घूमता था, कहीं कोई उलट फेर नहीं था। जीवन सहज था। जिस तरह नदी का धरा के साथ, चिड़िया का पेड़ों के साथ, तितली का फूलों के साथ जीवंत संबंध होता है उसी तरह मनुष्य का प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध था। परंतु मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ यह संबंध धीरे-धीरे कमजोर होता चला गया।

हम अपने ही जीवन काल में यह विनाश लीला देख रहे हैं। प्राणवायु मर रही है, जनसंख्या गुब्बारे की तरह फूल रही है, सैकड़ों जीव प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो रही हैं, नित नये उपकरण जगह घेरते जा रहे हैं, सड़क पर ही नहीं आकाश पर भी यातायात संकुल होता जा रहा है, शब्द शोर में बदल गए हैं। भूकंप, बाढ़, सूखा एक आम खबर बनकर रह गयी है। ऐसे में यदि हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो हवा, पानी और जलवायु की चिंता करना जरूरी है।

जलवायु परिवर्तन की चर्चा अभी तक कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों से घिरी रही है जिन्हें भारत का आम नागरिक अपने जीवन के साथ आसानी से नहीं जोड़ता। जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय बहस में दरारें हैं।

कल तक जिन देशों को विकासशील कहा जाता था, उनमें से आज कई या तो पूरी तरह विकसित की श्रेणी में आ चुके हैं या उनके समाज का एक हिस्सा इस कोटि में आ चुका है। विकसित होने का अर्थ औद्योगिकता के दौर में धनी हो चुके देशों का अनुगामी होना है।

महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में कहा था "व्यक्तिगत उपभोग के यूरोपीय मापदंड को भारत में अपनाने पर भीषण स्थिति पैदा होगी।" दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से लेकर विलासिता की तमाम सुविधाओं पर नजर डालें तो यूरोप और अमेरिका के मानक काफी भयानक लगते हैं। इन मानकों की आड़ में हमारे देश के सम्पन्न वर्ग में एक बेखबर, बर्बर, जीवनशैली पनप रही है, कहने की जरूरत नहीं कि इस तरह के लोग पढ़े-लिखे धनी वर्ग के होते हैं। अखबारों की खबरों अनुसार जून 2010 का महीना सन् 1890 के बाद सबसे ज्यादा गरम महीना रहा है। नोबल पुरस्कार प्राप्त अल-गोर की प्रसिद्ध

पुस्तक एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ बताती है कि सन् 2005 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। अप्रैल के महीने में जब गर्मी दस्तक देती है तब अचानक बारिश होना और सर्द हवायें बहना, दिसंबर के महीने में, आम के पेड़ों पर बौर आ जाना, मुम्बई में 24 घण्टों में 37 इंच बारिश होना। अगस्त 2006 में भोपाल जैसे शहर में बाढ़ आ जाने जैसे अजीब वाकये उस बड़ी घटना के छोटे-छोटे संकेत हैं जिसे दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के नाम से पुकारती है।

ग्लोबल वार्मिंग के तहत धरती का तपना पृथ्वी का गरमाना उतना ही घातक और खतरनाक साबित हो सकता है जितना परमाणु युद्ध। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक लगातार इस संकट से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे धरती पर मौसमी उथल-पुथल मच सकती है। पर अब आगाह करने की जरूरत नहीं है, मौसमी उलटफेर की विपदा धरती पर उतर आयी है। धरती का पारा ऊपर चढ़ाने के लिये हम और जीवन कार्यशैली जिम्मेदार हैं। अधिक से अधिक सुविधायें जुटाने की होड़ में मनुष्य प्रकृति के दोहन में जुटा है। नतीजतन, वायुमंडल में कुछ गैसों की, जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, मात्रा इतनी बढ़ गयी कि धरती पर आने वाली सूरज की गर्मी वापस वायुमंडल में नहीं जा पाती। धरती के गर्माने की इस मुख्य वजह को वैज्ञानिक "ग्रीन हाउस प्रभाव" कहते हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि विश्व की औद्योगिक क्रांति से पूर्व की तुलना में आज वायुमंडल में प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डायआक्साइड की मात्रा 30 से 40 प्रतिशत ज्यादा है। तमाम चेतावनियों, कोशिशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बावजूद हवा में ग्रीन हाउस गैस घुलने की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। मौसमी बदलाव या जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिये यूं तो कई अतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां हुई हैं पर 1997 का क्योटो प्रोटोकाल सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के तमाम प्रावधान मौजूद हैं। सारी दुनिया ने इस संधि को मान्यता दी है, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर। अब यह संधि भी बीते दिनों की बात हो गयी है। इस मुद्दे पर दुनिया ने एक होकर कदम नहीं उठाया तो हमें अपने अस्तित्व के लिये कठिन संघर्ष करना होगा। जलवायु परिवर्तन के लिये जिम्मेदार कारकों को नियंत्रित करने तथा व्यापक जनचेतना के माध्यम से जीवनशैली को परिवर्तित करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वैश्विक समस्या के उपाय नितांत स्थानीय हैं।

● **अजातशत्रु श्रीवास्तव**
एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एप्को, मध्यप्रदेश

इसमें जलवायु परिवर्तन और उसकी संवेदनशीलता का अध्ययन किया जा रहा है। बदलती जलवायु का हर जगह अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। इन प्रभावों को समझने और इनसे होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए ये जरूरी है कि हम ये जानें कि हम कैसे और किस स्तर तक प्रभावित हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से हुए मध्यप्रदेश ज्ञान प्रबंधन संस्था ने मध्यप्रदेश में जिलेवार जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। कृषि, वन, स्वास्थ्य और जल संसाधनों तथा अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन बताता है कि वो कौन-कौन से जिले या क्षेत्र हैं जो अभी संवेदनशील हैं या आगे आने वाले समय में संवेदनशील हो जाएंगे। यह अध्ययन सही नीतियां तैयार करने में मदद कर सकता है। मध्यप्रदेश जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र जलवायु विज्ञान, वैज्ञानिकों, नीति निर्माण करने वाले विभागों से पर्यावरण संबंधी सभी परामर्श लेने व देने का कार्य तो करती ही है इसी के साथ जलवायु परिवर्तन पर प्रदेश, देश तथा विदेश में होने वाली गतिविधियों को समझना, उससे प्रदेश में पड़ने वाले प्रभावों को समझना और इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है।

ज्ञान प्रबंधन केन्द्र देश-विदेश की संस्थाओं के साथ और सरकारी विभागों के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता के प्रभाव को कम करने के प्रयास में Pilot project भी प्रोत्साहन देती है।

मध्यप्रदेश में किये गये प्रयास- जलवायु परिवर्तन ने प्रदेश में कृषि संसाधनों, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों आधारित आजीविका और खाद्यान्न उत्पादनों पर प्रभाव डाला है। इनका सामना करना और आने वाले समय के अनुमानित परिवर्तन से सतर्क रहने की तैयारी करना बहुत आवश्यक है। प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में जहां आजीविका

उन्नत कृषि उत्पाद और समृद्ध पशुधन पर आधारित है। वहां मौसम के असंतुलन और सूखे की बढ़ती समस्या देखी जा रही है और आजीविका को प्रभावित कर रही है। इसी के चलते 'शुभ कल' या बेहतर कल नाम की पहल एक अन्य संस्था के साथ की गई थी जिसमें किसान समूहों में काम करते हुए जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढालना, खेती के नये तरीकों पर जोर देना। अपने खेत तथा किसानों को बचाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझते हुए जीविका को आगे बढ़ाना शामिल है।

इस पहल के तहत किसानों को उन तकनीकों को समझने और लागू करने में मदद की गयी जिससे वे आने वाले दिनों में ज्यादा बिजली, ईंधन, धुआं वाली मशीनों की बजाय दूसरे तरीकों में उतनी ही पैदावार हासिल करें, साथ ही एक शुभ कल मिले। इस पहल में किसान समूहों में काम करते थे और मिल बैठकर समस्याओं पर चर्चा करते। एक अन्य संस्था के साथ मण्डला जिले के विकासखण्डों में वर्ष 2011-13 में पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता को समृद्ध बनाकर और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तरीके अपनाकर सम्पूर्ण ग्राम समुदाय को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की गयी। इस परियोजना में मिट्टी, मिट्टी की नमी, जल, वन और कृषि के साथ अन्य जीविकाओं के साधन पर भी जोर दिया गया था। कृषि के तरीकों में सुधार के तरीके, मिट्टी की उर्वरक क्षमता व अन्य वन्य उत्पादों पर भी बल दिया गया था।

इसी प्रकार की एक पहल धार जिले के गंधवानी खण्ड में 2011-13 में की गई थी जिसमें कृषि मानसून में होने वाले बदलाव से पहले ही प्रभावित हो रही थी। बदलती वर्षा और तापमान के कारण मत्स्य पालन, जो इस क्षेत्र में जीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है, प्रभावित हो रहा था। इस परियोजना में यह कोशिश की गई कि मत्स्य पालन को लोग कृषि के साथ जीविका के रूप में अपनाएं साथ ही ऐसे तालाब हों और ऐसी मछलियों की प्रजातियां हों जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन कर सकें। इनके अलावा बीमा कंपनियों के साथ ऐसी मुहिम की गई, जिससे यह कोशिश की गई कि किसान कम से कम प्रभावित हों और इस परिवर्तन से लड़ने की क्षमता बढ़े। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन को समझे और इनसे होने वाले प्रभावों को समझें क्योंकि ग्राम सभाएं प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ग्राम पंचायतों को ग्राम विकास योजना का निर्माण करते समय इन संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण करना होगा।

● **रुपाली गुप्ता**
● **रवि शाह**

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन

मध्यप्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के अनुसार देश का छठवां बड़ा राज्य है। मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। प्रदेश का एक बड़ा भाग (लगभग 70 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र है। 7.50 करोड़ की जनसंख्या वाले मध्यप्रदेश के 5.25 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। ये लोग कृषि तथा उससे जुड़े हुए व्यवसायों पर आश्रित हैं। कुछ वर्ग, जो वनों के समीप रहते हैं, वे वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित हैं परन्तु उनका भी प्रमुख व्यवसाय कृषि, मत्स्य पालन एवं पशुपालन है।

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि और इससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर करती है। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा लघु वन उपज पर भी आश्रित है जैसे तेंदूपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, लाख इत्यादि; हालांकि इन वनोपजों की भी खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। एक दशक पहले वर्ष 2003 तक यह अर्थव्यवस्था सामान्य से भी निचले स्तर पर थी, पर आज ऐसा नहीं है। मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था सामान्य से कहीं ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। वर्ष 2005 के बाद से अर्थव्यवस्था ने एक करवट ली है और मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अन्य राज्यों के मुकाबले एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर सामने आयी है। वर्ष 2011-12 में मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) ऊंचा उठकर 10.2 प्रतिशत पर पहुंच चुका था। इसका श्रेय मध्यप्रदेश शासन द्वारा किये सराहनीय प्रयासों को जाता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मध्यप्रदेश शासन के कृषि के क्षेत्र में किये गये कार्य इस उपलब्धि के उत्तरदायी पात्र हैं। यह संदेश अब साफ है कि मध्यप्रदेश शासन कृषि उत्पादन के लिए चिंतित एवं कार्यशील है।

आंकड़ों पर नजर डाली जाये तो

मध्यप्रदेश गेहूँ के उत्पादन में पहले, दलहन के उत्पादन में दूसरे एवं तिलहन के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मध्यप्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूकर नये रिकार्ड कायम किये हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्यप्रदेश ने वर्ष 2013-14 में लगभग 24.99 प्रतिशत की कृषि उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है।

मध्यप्रदेश की यह उत्पादन वृद्धि राज्य शासन के सतत् प्रयासों का ही फल है। यह वृद्धि प्रदेश की उपलब्धि और विकास को दर्शाती है और दूसरे राज्यों के लिए प्रेरक है। विकास की इन तमाम उपलब्धियों के बीच प्रश्न यह है कि क्या यह वृद्धि इसी दर या इससे अधिक दर से होती रहेगी अथवा जलवायु परिवर्तन तथा अन्य कारक कृषि के क्षेत्र में हुई राज्य की तरक्की को प्रभावित करेगी।

मध्यप्रदेश सरकार कृषि को सिर्फ रोजगार नहीं, लाभ का व्यापार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज की परिस्थिति अनुसार यह एक हद तक संभव माना जा रहा है, किन्तु वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तभी संभव है जब कृषि के लिए जलवायु परिस्थितियां सामान्य एवं अनुकूल होंगी। बीते कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कृषि पर पड़े बुरे प्रभाव हमें यह बात मानने पर मजबूर कर देते हैं। वर्ष 2013 में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हर महीने कम से कम एक बार वर्षा हुई है। यह कृषि उत्पादन के लिए प्रतिकूल व हानिकारक साबित हुई। इसकी वजह से किसानों को आर्थिक हानि झेलनी पड़ी। दूसरा, मार्च 2014 में प्रदेश के कई भागों में ओलावृष्टि से कृषि उत्पादन को नुकसान पहुंचा। राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन की जानकारी के अनुसार इस ओलावृष्टि से प्रदेश के 31 जिलों के 3190 गांवों की

2,44,615 हेक्टेयर भूमि पर प्रभाव पड़ा और करीब 893 करोड़ रुपये की फसल बर्बाद हुई।

उपरोक्त घटनाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखें तो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव सीधे रूप से राज्य की ही नहीं बल्कि राष्ट्र की भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ऐसी घटनाएं हमें कृषि उत्पाद आयात करने पर मजबूर करती हैं और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हमें आयात विदेशी मुद्रा के बदले करना पड़ता है जिसकी वजह से भारतीय रुपया कमजोर हो जाता है। उत्पादन घटता है और महंगाई बढ़ती है, जिसकी मार मध्यम एवं निचले स्तर के लोगों को झेलनी पड़ती है।

मध्यप्रदेश में हुए जलवायु परिवर्तन से जुड़े अध्ययनों के अनुसार कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है। एप्को द्वारा तैयार की गई राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (MP SAPCC) के अनुरूप कृषि के क्षेत्र में कार्य करने की अतिआवश्यकता है। SAPCC के अनुसार इस क्षेत्र में कृषि से जुड़ी कार्ययोजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये एक बड़ी लागत की आवश्यकता है। यह हमें दर्शाता है कि किस तरह राज्य शासन के लिए कृषि प्राथमिक स्तर का क्षेत्र है। हालांकि अभी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना क्रियान्वयन स्तर पर है और विभागों द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है।

भारत सरकार ने कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए भरसक प्रयास किये हैं तथा कई योजनाएं लागू की हैं, ताकि समाज के निचले वर्ग व किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके और देश को आर्थिक रूप सुदृढ़ बनाये रखे।

विकास पथ पर सराहनीय कदम-

किसान कॉल सेंटर : 1551 - भारतीय कृषि एक क्रांति का उदाहरण है। समझा जा रहा है कि इसकी एक मुख्य वजह सरकार और किसानों के बीच पारंपरिक व्यवधानों से संगठित जानकारी का आदान-प्रदान है। शुरू में जानकारी एवं ज्ञान का अभाव किसान को उपायों की दृष्टि से विकलांग बना देता था, लेकिन आज के तकनीकी युग में यह बहुत आसान हो गया है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण किसान कॉल सेंटर सेवा है। देश में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास से देश में लगभग सभी गांवों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। यह सूचना तथा जानकारी प्रसारित करने के लिये एक अच्छे साधन के रूप में प्रयोग होने लगा है। यह योजना 21 जनवरी, 2004 से समूचे देश में लागू हो चुकी है। इस योजना के अनुसार कोई भी किसान टोल फ्री नम्बर 1551 पर देश के किसी भी कोने से सुबह 6.00 से रात 10.00 बजे तक (रविवार छोड़कर) कॉल करके कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान अपनी स्थानीय भाषा में प्राप्त कर सकता है। कॉल पर कृषि विशेषज्ञ किसान को उनकी खेती तथा फसल के रखरखाव, मूल्य निर्धारण, फसल की बीमारी, प्राकृतिक आपदा इत्यादि से जुड़ी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। किसानों की समस्याओं का आसानी से हल निकलने से कृषि के उत्पादन पर आर्थिक नुकसान कम होने लगा है।

मौसम आधारित कृषि-सलाहकार सेवाएं : सन् 1945 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पुणे ने किसानों के लिये मौसम की जानकारी प्रदान करने की सेवाएं शुरू कीं।

इन सेवाओं के माध्यम से आकाशवाणी पर किसानों के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी प्रसारित की जाने लगी। इसका उद्देश्य मौसम से जुड़ी निकट भविष्य की जानकारी किसानों तक पहुंचाना था, ताकि वे फसल को बचाने के लिए समय रहते निर्णय ले सकें। सन् 1976 में राज्य के कृषि विभागों के साथ मिलकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पुणे ने Agro-Meteorological Agriculture Advisory Services (AAS) की शुरुआत की।

सेवाओं में और सुधार लाने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पुणे ने 2007 में देश के अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर Integrated Agro-Met Services आरंभ

की। मौसम पर आधारित परामर्श सेवाओं हेतु एक मल्टी-चैनल प्रसारण प्रणाली स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत जनसंपर्क के कई माध्यमों को काम में लाया गया है; जैसे इंटरनेट, पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो, एस.एम.एस., टेलीफोन व मोबाइल आदि।

इस प्रक्रिया में जिला स्तरीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित होने वाले District Agro-Met Adisory Bulletin खासतौर पर किसानों के लिए बनाये गये, जो कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थापित 30 Agro-Met Functional Unit से संचालित होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मौसम द्वारा बाधित कृषि के कार्यों (बुवाई व कटाई आदि) को सही तरह से करने हेतु परामर्श देना है। साथ ही साथ यह बुलेटिन उद्यानिकी तथा बागवानी की फसलों एवं पशुपालन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी परामर्श करते हैं। ये सेवाएं किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं, क्योंकि यह जानकारी और सुझाव किसानों को फसलों की ज्यादा उपजाऊ किस्मों के बारे में अवगत कराती है जो मौसम के विपरीत प्रभावों के अनुकूल हों। यह कोशिश किसानों को विपरीत जलवायु परिस्थितियों में भी आर्थिक रूप से स्वयं को सक्षम बनाये रखने के लिए जरूरी समझी जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

प्राकृतिक आपदा, फसलों की बीमारियां आदि की वजह से हुए नुकसान की भरपाई, किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराना तथा उनका इस्तेमाल कर खेती को और उन्नतिशील बनाने के लिये उत्साहित करना और आपदा के वर्षों में किसानों की खेती से होने वाली आय को स्थिर करना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के मुख्य उद्देश्य तथा योजना की अपेक्षाएं हैं। ये बीमा योजना किसानों को कृषि उत्पादन के असफल होने पर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलायी जा रही है।

यह बीमा योजना संपूर्ण राष्ट्र के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। बीमाकृत राशि के लिए काश्तकारों और भागीदारी किसान सहित सभी किसान जो अधिसूचित क्षेत्र में, अधिसूचित फसल की खेती कर रहे हैं; इस बीमा योजना में अनिवार्य रूप से

पात्र हैं। योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे आग लगना, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा पड़ना व फसलों की बीमारी इत्यादि की वजह से होने वाले नुकसान हेतु बीमा प्रदान किया जाता है।

मध्यप्रदेश में यह बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे किसानों के लिए जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुई हैं, उन्हें इस बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्ति हो रही है।

वर्ष 2014 में मध्यप्रदेश के 1.17 लाख करोड़ के वित्तीय बजट में से राशि रुपये 22,413 करोड़ कृषि के लिए आवंटित की गई है, जो पूरे बजट का 19 प्रतिशत है। अतः यह समझा जा सकता है कि मध्यप्रदेश शासन किसानों को कृषि में होने वाले लाभ-हानि के प्रति जागरूक है।

ग्रामीण विकास व कृषि के क्षेत्र में योजनाओं को सुदृढ़ रूप से क्रियान्वित कर ग्रामीण वर्ग की आजीविका और जीवनशैली में सुधार लाने के लिए यह कदम अतिमहत्वपूर्ण है।

मध्यप्रदेश को आर्थिक रूप से विकसित बनाने के लिए यह प्रयास सराहनीय समझे जा सकते हैं।

● **प्रतीक बारापात्रे**
● **लोकेन्द्र ठक्कर**

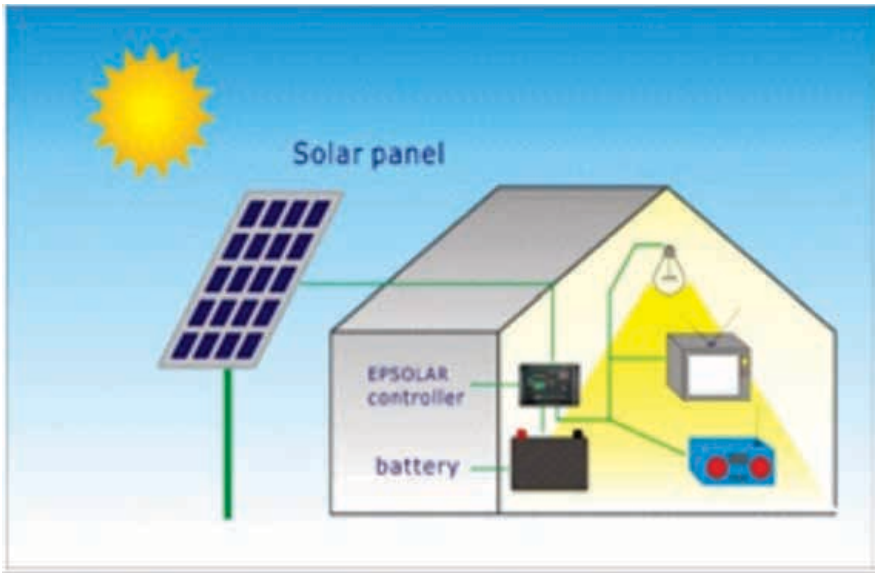

ग्रामीण ऊर्जा के नये स्त्रोत

पिछले दशक के दौरान हमने देखा है कि हमारे देश में हर क्षेत्र में उन्नति हुई है लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है, साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में भी गिरावट आई है।

सभी समाजों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की गुणवत्ता विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा एक गांव के सामाजिक-आर्थिक विकास के बुनियादी ढांचे के मुख्य घटकों में से एक है। एक ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का मुख्य दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है; पहला भोजन बनाने के लिए, दूसरा घर तथा अन्य स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था के लिए।

ऊर्जा का वर्गीकरण

- **गैर अक्षय या पारंपरिक ऊर्जा संसाधन**

  अधिकांश ऊर्जा जो लोगों द्वारा प्रयोग में लायी जाती है, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूर्य से ली जाती है। गैर नवकरणीय ऊर्जा का प्रयोग लोगों द्वारा एक लम्बे समय से किया जा रहा है। पेट्रोलियम की उपलब्धता सीमित है। पेट्रोलियम उत्पाद धरती की सतह के नीचे अवायवीय अपघटन (anaerobic decomposition) से निर्मित होते हैं। जीवाश्म ईंधन या पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग से कार्बन का उत्सर्जन होता है जो कि वायुमण्डल में प्रदूषण को बढ़ाता है।

- **अक्षय या गैर-परंपरागत ऊर्जा**

  अक्षय या गैर-परंपरागत ऊर्जा की प्राप्ति हमें प्राकृतिक संसाधनों से होती है; जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, नदियां, समुद्र, वनस्पति तथा भूतापीय स्त्रोत। इन स्त्रोतों की मुख्य बात यह है कि जिस अनुपात में इन्हें उपयोग में लाया जाता है उसी अनुपात में इनका उत्पादन होता है जिससे वायुमण्डल में पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है। ये सभी स्त्रोत प्रदूषण रहित होते हैं तथा स्थाई तथा दीर्घकालीन वैश्विक ऊर्जा की जरूरतों को पूर्ण करते हैं।

भारत में ग्रामीण ऊर्जा

ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से खाना बनाने, प्रकाश की व्यवस्था करने और कृषि कार्य में किया जाता है। 75 प्रतिशत ऊर्जा की खपत खाना बनाने और प्रकाश करने के लिये उपयोग में लाया जा रहा है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बिजली के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैव ईंधन और केरोसिन आदि का भी उपयोग ग्रामीण परिवारों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। कृषि क्षेत्र में ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः पानी निकालने के काम में किया जाता है। इन कार्यों में बिजली और डीजल भी उपयोग में लाया जा रहा है। यद्यपि ऊर्जा उपयोग का स्तर गांव के भीतर अलग-अलग है, सिंचाईपरक भूमि और सूखी भूमि के बीच, महिलाओं और पुरुषों के बीच आदि।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में काफी अंतर है। उदाहरण के लिए, 75 प्रतिशत ग्रामीण परिवार रसोई के ईंधन के लिए लकड़ी पर, 10 प्रतिशत गोबर की उपालियों पर और लगभग 5 प्रतिशत रसोई गैस पर निर्भर हैं। जबकि इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए 22 प्रतिशत परिवार लकड़ी पर, अन्य 22 प्रतिशत केरोसिन पर तथा लगभग 44 प्रतिशत परिवार रसोई गैस पर निर्भर हैं। घर में प्रकाश के लिए 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवार केरोसिन पर तथा अन्य 48 प्रतिशत बिजली पर निर्भर हैं।

हमें अक्षय ऊर्जा का उपयोग क्यों करना चाहिए - अक्षय ऊर्जा का नवीनीकरण किया जा सकता है तथा इसको हम सदा प्राप्त करते रहेंगे। ये सभी ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधन हैं एवं इनसे बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है।

अक्षय ऊर्जा ग्लोबल वार्मिंग कम करने में सहायक है

ग्लोबल वार्मिंग मानव तथा अनगिनत प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा है। सौभाग्य से दशकों के अनुसंधान के बाद सौर ऊर्जा से सोलर पैनल सिस्टम द्वारा ग्लोबल वार्मिंग किये बिना बिजली बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह सिद्ध हो चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग के संकट के समय सौर ऊर्जा बिजली बनाने का प्रमुख विकल्प है। सोलर पैनल द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते समय कार्बन का उत्सर्जन बिलकुल नहीं होता है।

सौर ऊर्जा द्वारा धन की बचत

सौर ऊर्जा के सृजन में बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। एक बार सोलर पैनलों को स्थापित करने के बाद ये कम खर्च में अधिकतम क्षमता के साथ काम

ग्रामीण क्षेत्र में उपयोगी अक्षय ऊर्जा के उत्पाद

उत्पाद	वर्णन	उपयोग
सोलर लॉलटेन	पारम्परिक लॉलटेन का विकल्प सभी आकार में उपलब्ध है।	घर के बाहर तथा रात में खेतों पर काम करने के लिए।
सोलर होम लाइटिंग	एक से अधिक कमरों में रोशनी के लिए, एक छोटा डी.सी. पंखा चलाने के लिए तथा मोबाइल चार्ज के लिए।	घर और छोटे व्यवसायों के लिए प्रकाश स्त्रोत का बैक अप
सोलर वाटर हीटर	सौर वाटर हीटर सूर्य की गर्मी से ऊर्जा एकत्र करता है और एक सिलेंडर में ऊर्जा को संग्रहित करता है जो पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है।	घरों एवं व्यवसायों में पानी गर्म करने का साधन।
सोलर पम्प	सोलर वाटर पम्प जमीनी स्तर पर बोरवेल, ओपनवेल, तालाब व नदी से पानी पंप करने के लिए एक सही सघन समाधान है।	किसानों के लिए सिंचाई और जल पम्पिंग समाधान।
सोलर ऊर्जा संयंत्र	यदि आप किसी बिजली रहित ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं।	घर और छोटे व्यवसायों के लिए प्रकाश स्त्रोत का बैक अप।
उन्नत चूल्हा	अधिक ईंधन कुशल स्टोव, सस्ता, उपयोग करने में आसान व धुआँ रहित।	खाना बनाने में।

● हेमलता हुरमाड़े

करते रहते हैं। इस प्रकार आपकी धन की बचत करते हैं।

सौर ऊर्जा आपको ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता है तथा यह ऊर्जा का एक विश्वसनीय स्त्रोत है।

सब्सिडी

नाबार्ड निम्नलिखित उत्पादों पर सब्सिडी प्रदान करता है-

- सोलर लालटेन
- सोलर होम लाइटिंग सिस्टम
- सोलर वाटर हीटर
- सोलर रूफटॉप प्लांट
- सोलर वाटर पम्प।

अक्षय ऊर्जा से संबंधित योजनाएं

जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन

यह योजना नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के माध्यम से इरेडा (भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड) द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए सोलर पी.व्ही. सिस्टम की लागत 40 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की गयी है।

नाबार्ड के माध्यम से सोलर पी.व्ही. प्रणाली पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया

- सोलर पी.व्ही. प्रणाली के लिए सही निर्माता/आपूर्तिकर्ता का चयन करें, जो कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) से स्वीकृत होना चाहिए।
- एम.एन.आर.ई. द्वारा केवल प्रमाणित मॉडल ही सब्सिडी पाने के लिए पात्र हैं।
- किसी मामले में यदि उत्पाद की कीमत बैंचमार्क लागत से कम है तो पूर्ण 40 प्रतिशत सब्सिडी का दावा किया जा सकता है।
- केवल वे व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), जेएलजी (संयुक्त देयता समूह), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और

किसान क्लब नाबार्ड के माध्यम से सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

- इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आपको एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एक खाते की आवश्यकता है। अधिकांश सार्वजनिक राष्ट्रीयकृत बैंकों को इसके लिए संपर्क किया जा सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी तथा बाकी 60 प्रतिशत ऋण के लिए पात्र हैं। ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 5 वर्ष तक की है तथा इस पर आर.बी.आई के नियम लागू होते हैं।
- ऋण की प्राप्ति के लिए विक्रेता के पास उपलब्ध सभी जरूरी दस्तावेज तथा कोटेशन प्रस्तुत करने होंगे।
- लोन प्रक्रिया तथा दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद बैंक लोन उपलब्ध कराता है तथा दस्तावेजों को सब्सिडी प्राप्ति के लिए नाबार्ड भेजा जाता है।

ग्राम प्रकाश कार्यक्रम

इस योजना का उद्देश्य उन अविद्युतीकृत दूरदराज के गांवों एवं बस्तियों में जहां पर ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है या उस पर आने वाली लागत अत्यधिक है तथा ये गांव राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, वहां पर अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से बुनियादी प्रकाश की सुविधा उपलब्ध कराना है।

बायोगैस विकास कार्यक्रम

मध्यप्रदेश के कृषि औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम और खादी और ग्रामोद्योग आयोग बायोगैस संयंत्र विकसित करने के लिए राज्य में काम कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने म.प्र. कृषि औद्योगिक विकास निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। बायोगैस आधारित बिजली इकाईयां देश में एक विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बायोगैस संयंत्रों की लागत, मॉडल और अवधारण अवधि, क्षमता निर्माण सामग्री और श्रम लागत में बाजार की कीमतों के अनुसार बदलाव होता रहता है। औसतन एक 2 घन मी. क्षमता के स्थाई डोम दीनबंधु बायोगैस संयंत्र की कीमत लगभग 8500 रुपये होती है। यह परियोजना गांव स्तर के संगठन, संस्था, निजी उद्यमियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है।

राष्ट्रीय बॉयोमास उत्तम चूल्हा कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक कुशल खाना पकाने का चूल्हा प्रदान करके वायु प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन को कम करना है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 82.60 करोड़ भारतीय खाना बनाने के लिए ठोस ईंधन के रूप में लकड़ी और कोयला जलाते हैं। इसके प्रयोग से विषैला धुआं निकलता है जो मोतियाबिंद, तपेदिक तथा कई बीमारियों का कारण बनता है। इस कार्यक्रम से महिलाओं के बीमार होने की दर में कमी आयी है।

बायोगैस से बदलाव : सिंधुताई तायडे फीडर के माध्यम से अपने संयंत्र में गाय के गोबर का गारा डालती हैं, विजय इंग्ले गारे को बायोगैस डाइजेस्टर टैंक में खंगालते हैं। जब अकोला जिले के चित्तलवाड़ी गांव के विजय इंग्ले ने अपनी डेयरी में पिछले साल एक

बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया तो हर कोई शंकित था। विदर्भ क्षेत्र में सरकार द्वारा पिछले तीन दशकों के दौरान साफ और सस्ते ईंधन के रूप में बायोगैस को बढ़ावा देने और संयंत्र की स्थापना के लिए सब्सिडी की पेशकश के बावजूद प्रयास विफल रहे थे। इसके अलावा घर से 400 मीटर की दूरी पर कोई बायोगैस संयंत्र स्थापित के बारे में किसी ने नहीं सुना था; आमतौर पर यह घर के पिछवाड़े में रसोई घर के लिए स्थापित किया जाता है।

बुल्ढाना जिले के पड़ोसी तंदुलवाड़ी में किसान श्यामराव देशमुख को चार साल पहले ऐसे ही संदेह का सामना करना पड़ा था। जैसे-जैसे उनके संयुक्त परिवार में वृद्धि हुई, उनको अपनी गौशाला गांव के बाहरी इलाके में लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर स्थानांतरित करनी पड़ी। बढ़ते एलपीजी खर्च में कटौती करने के लिए देशमुख ने गौशाला में एक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया। उन्होंने भी अपने आपको ऐसे लोगों से घिरा हुआ पाया जो उन्हें इस परियोजना को त्याग देने की सलाह दे रहे थे, लेकिन ये दोनों किसान अपने संकल्प पर दृढ़ रहे और इन्होंने अपने संयंत्र कार्यशील कर दिखाए। सफलता ने आलोचकों को विश्वासियों में बदल दिया। आज चित्तलवाड़ी में 15 बायोगैस संयंत्र काम कर रहे हैं और तंदुलवाड़ी में 41 कई अन्य लोगों की भी बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना है और उन्होंने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। अब तक अधिकारियों ने सब्सिडी के बावजूद विदर्भ में बायोगैस के प्रति उदासीनता के लिए गाय के गोबर की कमी को कारण के रूप में उद्धृत किया था लेकिन इन गांवों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना कर रहे किसानों के पास बड़ी संख्या में पशु नहीं हैं। उन्हें बायोगैस तक पहुंचने से रोकने वाली चुनौतियां दूर करने के लिए उन्होंने अभिनव समाधान ढूंढ़े हैं।

● धर्मेन्द्र सिंह

सौर ऊर्जा युक्त गांव

झांसी के रामपुरा गांव में अब कभी सूर्य अस्त नहीं होता। बुंदेलखंड का यह गांव अपना सौर ऊर्जा संयंत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला गांव बन गया है। पहले इस गांव में बिजली का नामो-निशान नहीं था। लेकिन अब केरोसिन के लैंप, जिसकी रोशनी में बच्चे पढ़ते थे, धूल फांकने लगे हैं।

गांव के बच्चे अब बिजली की रोशनी में पढ़ते और खेलते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं। यह सब सौर ऊर्जा से संभव हुआ है। गांव में 8.6 किलोवाट का बिजली संयंत्र लगाया गया है, जिस पर 31.5 लाख रुपये की लागत आई है। इस संयंत्र से गांव के सभी 69 घरों में बिजली मिलती है। एक स्वयंसेवी संस्था डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स ने नॉर्वे की स्काटेक सोलर के सहयोग से समुदाय आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। रामपुरा झांसी से 17 किलोमीटर की दूरी पर है।

यहां केवल बिजली ही नहीं है। सौर ऊर्जा जल्दी ही यहां के लोगों की दक्षता बढ़ाने का काम भी करेगी। गांव में समुदाय आधारित लाभ कमाने के दृष्टिकोण से आटा चक्की लगाई जाना है। यह सौर ऊर्जा से चलेगी। गांव की निवासी अनिता पाल, जो ग्राम ऊर्जा समिति की सदस्य भी हैं, ने कहा : मैं पैसा कमाने के लिए बुनाई का एक उद्यम स्थापित करने की योजना बना रही हूँ।

स्रोत : हिन्दुस्तान टाइम्स

क्लायमेट स्मार्ट गांव

जलवायु परिवर्तन को हम अनिश्चित वर्षा, अत्यधिक तापमान, मौसम में आये बदलाव आदि से जान सकते हैं, जिसके कारण कीटों के हमले, पानी की उपलब्धता में कमी, सूखे और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर फसलों की उत्पादकता कम हो जाती है, जो कि भारत की खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए जरूरत है कि हम ऐसे क्षेत्रों को ढूंढ़ें जहां स्थायी प्रथाओं (Sustainable Practices) को लागू किया जा सके जिससे हम 1. बढ़ती खाद्य मांग को पूरा कर सकें 2. जलवायु व 3. शमन का प्रयोग कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकें।

क्लायमेट स्मार्ट गांव वह गांव होते हैं जिनका विकास "समुदाय आधार पहुंच" पर किया गया हो। जिनमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे फसलों की उगने की क्षमता व उसकी उत्पादकता, जल की उपलब्धता, मृदा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आदि का ध्यान रखा गया हो और इस प्रकार से हमें फसल उत्पादन, ऊर्जा के उपयोग, अपशिष्ट निपटान जैसी पारंपरिक विधियों के स्थान पर जलवायु अनुकूल विधियों तथा तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

क्लायमेट स्मार्ट गांव, पारंपरिक गांव से अलग होता है क्योंकि इसमें हस्तक्षेपों का प्रदर्शन होता है।

क्लायमेट स्मार्ट गांव को विकसित करने की जरूरत क्यों है?

भारत में कृषि किसी भी गांव का मुख्य आधार है। यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। किसी भी गांव में आत्मनिर्भरता व जलवायु परिवर्तन से उभरने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप की जरूरत है।

जलवायु परिवर्तन चावल, गेहूँ और मक्का के उत्पादन पर प्रभाव डालेगा, यदि उचित अनुकूलन और शमन के उपाय नहीं करे गये तो। CCAFS-CGIAR के अध्ययन जो भारत में चावल, गेहूँ और मक्का की उपज पर अनुकूलन की उपस्थिति व अनुपस्थिति में क्या प्रभाव डालेगा, इसकी पुष्टि करता है।

इसमें हम फसलों की उत्पादकता पर प्रभावों को देख सकते हैं अगर सही अनुकूलन के उपाय नहीं किये गये, इसलिए हमें विशिष्ट अनुकूलन और शमन के उपायों को सरकार की नीतियों और योजनाओं में जोड़ने की जरूरत है, जैसे ग्राम विकास योजना के द्वारा इस मुद्दे का निराकरण किया जा सकता है।

क्लायमेट स्मार्ट गांव के परिणाम

उत्सर्जन, पानी के उपयोग, उर्वरक के उपयोग एवं अपशिष्ट और नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा व फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी तथा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का समाधान होगा।

क्लायमेट स्मार्ट गांव विकसित करने के चरण

- जलवायु जोखिम प्रोफाइल, वैकल्पिक भूमि के उपयोग के विकल्प तथा किसानों और स्थानीय सरकार की इच्छा पर आधारित एक साइट का चयन करना।
- विभिन्न समुदाय के साथ काम करना जैसे किसान, शोधकर्ता, कृषि सलाहकार सेवा प्रदाता की मदद से गांवों तक सरकारी सब्सिडी योजनाओं के लाभ को पहुंचाना।
- आधारभूत सर्वेक्षण का आयोजन करना जिसके द्वारा हम वर्तमान आर्थिक स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता, उत्पादन और आय पर प्रभावों को ज्ञात कर उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- प्राथमिकता का चयन जैसे सामूहिक चर्चा के द्वारा किसान स्वयं जलवायु के अनुकूल कार्य करें ताकि फायदा बढ़े व खतरे कम हों।
- बारिश गेज, बेहतर बीज विविधता, शून्य जुताई, मशीन आदि उपकरण उपलब्ध करवा कर ग्रामीणों की क्षमता का निर्माण करना व उन्हें प्रेरित करना तथा प्रशिक्षण सत्र किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों से अवगत करवाता है।
- **निगरानी और प्रगति का मूल्यांकन करना :** विभिन्न डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर के माध्यम से समन्वयक के

द्वारा किसानों के साथ चर्चा करना तथा प्रगति और प्रभावों का मूल्यांकन करना।

- वीडियो और प्रशंसापत्र के माध्यम से आसपास के गांवों में प्राप्त परिणामों का प्रचार-प्रसार करना। सरकारी अधिकारियों के द्वारा खेत पर जाकर किसानों से प्रतिक्रिया लेना तथा उन्हें नई तकनीकों की जानकारी देना और इसके लिए उन्हें प्रेरित करना।

क्लायमेट स्मार्ट गांव के घटक -

- **जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकी-** फसल तकनीक में तकनीकी का उपयोग, कटाई के तरीके, अवशेष प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, जल संचयन और प्रबंधन पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक व जैव उर्वरक आदि।
- **जलवायु सूचना सेवा-** रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन, समाचार पत्र सर्वोत्तम प्रथाओं को किसानों तक पहुंचाने का एक सुविधाजनक मंच है जहां किसानों को सीधे क्षेत्रों से फसल उत्पादन, कीट प्रतिरोध और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।
- **ग्राम विकास योजना में जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकी और जलवायु सूचना सेवा को एकीकृत करना-** जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकी और जलवायु सूचना सेवा को ग्राम विकास योजना में स्थानीय संस्थाओं द्वारा समर्थित स्थानीय ज्ञान का उपयोग कर टिकाऊ और सर्वोत्तम प्रथाओं को गांव के सभी विकासात्मक गतिविधियों में सुव्यवस्थित कर एकीकृत करना।
- **स्थानीय ज्ञान और संस्थाएं-** विकासात्मक योजनाओं का प्लान तैयार करते समय स्थानीय ज्ञान और संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

फसल	अनुकूलन उपायों के साथ उपज में परिवर्तन		अनुकूलन उपायों के बिना उपज में परिवर्तन	
	2020	2050	2020	2050
चावल	+18%	+24%	-5%	-5%
गेहूं	+11%	+1%	-6%	-13%
मक्का	+21%	+10%	-7%	-15%

क्रमांक	क्षेत्र	हस्तक्षेप
1.	स्मार्ट मौसम	तकनीकी हस्तक्षेप जैसे मौसम सूचना प्रणाली एवं परामर्श (रेडियो, टीवी, मोबाईल, अखबार के द्वारा) सूचकांक आधारित बीमा योजनाओं के द्वारा कम वर्षा से जुड़े जोखिम को पूर्ण रूप से निरूपित किया जाना आदि।
2.	स्मार्ट पानी	जलभृत पुनर्भरण, वर्षा, जल संसाधन, समुदायों द्वारा जल प्रबंधन, तालाबों का निर्माण, ड्रिप सिंचाई एवं विभिन्न फार्म तकनीकों का उपयोग करना जैसे भूमि की ऊँचाई का उपयोग कर जल का बेहतर प्रबंधन एवं उपयोग करना।
3.	स्मार्ट कार्बन	मिट्टी में कार्बन की वृद्धि कृषि वानिकी, पशुधन और खाद प्रबंधन, संरक्षण, जुताई और बेहतर अवशेष प्रबंधन के द्वारा की जा सकती है।
4.	स्मार्ट नाइट्रोजन	लीफ कलर चार्ट, पोषक तत्व निर्णय निर्माता उपकरण के उपयोग से फसलों के लिए नाइट्रोजन उर्वरक की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, जिसके द्वारा ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन कम होगा।
5.	स्मार्ट ऊर्जा	जैव ईंधन के उपयोग से ईंधन कुशल मशीनों का प्रयोग तथा फसल अवशेषों का प्रबंधन आदि।
6.	स्मार्ट ज्ञान	किसानों को पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों के उपयोग ओर अच्छी किस्म की बीज के संबंध में बेहतर ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए तथा एक मंच का निर्माण होना चाहिए जहां इस क्षेत्र से जुड़ी जानकारी मिल सके।

क्लायमेट स्मार्ट गांव की विशेषताएं

एक क्लायमेट स्मार्ट गांव में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए :

- भूजल की वृद्धि और सिंचाई के लिए पानी की बेहतर उपलब्धता।
- फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी जो खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित है।
- फसलों में कीट और रोगों के प्रति प्रतिरोध।
- मृदा कार्बन व नाइट्रोजन में वृद्धि।
- कचरे व अवशेषों का कुशल निपटान।
- ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में कमी आना।

- बेहतर तरह से भूमि का उपयोग।
- जलवायु परिवर्तन, मौसम की स्थिति, फसल प्रबंधन तकनीक, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग व पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों के प्रयोग के प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना।

जलवायु परिवर्तन कृषि और खाद्य सुरक्षा (CCAFS) जिसका लक्ष्य दुनिया में क्लायमेट स्मार्ट गांव का विकास करना व बढ़ावा देना है। यह परियोजना 2011 में पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में शुरू की गई थी, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक अतिसंवेदनशील है। क्योंकि इन देशों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है।

किसी भी गांव की अर्थव्यवस्था उसी गांव की कृषि उत्पादकता पर निर्भर करती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो कृषि की उत्पादकता पर पड़ रहे हैं हम सब अच्छे से जानते हैं। इसलिए हमें ऐसे उदाहरणों से शिक्षा लेकर ऐसे ही मॉडल गांव बनाने की जरूरत है। देश के विभिन्न भागों में जैसे म.प्र.। म.प्र. जलवायु परिवर्तन के प्रति अतिसंवेदनशील हैं क्योंकि इसकी 3/4 आबादी गांवों में रहती है जो अपने जीवन यापन के लिए कृषि और वन पर निर्भर है।

● **राना पुजारी**

क्लायमेट स्मार्ट गाँव की समस्याएँ व समाधान

मुद्दे	परम्परागत/सामान्य प्रथाएं	समाधान
चावल व अन्य फसलों की खेती से भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। गेहूँ राज्य की प्रमुख फसल है।	नर्सरी से अंकुरित चावलों के अंकुरण लेकर स्थिर चल में रोपते हैं।	भूजल के उपयोग को कम करने के लिए चावल के बीज को सीधे सूखी जमीन में रोप दिया जाता है।
ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन	चावल के खेतों में निरंतर पानी रुकना।	वैकल्पिक गीला और सूखा की मदद से किसान खुद तय कर सकते हैं कि कब खेतों की सिंचाई करनी है।
उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग के कारण मृदा व भूजल दोनों प्रदूषित हो रहे हैं।	मृदा में उर्वरक की मात्रा निर्धारित करने के लिए कोई उपकरण नहीं है।	लीफ कलर चार्ट का प्रयोग कर सही उर्वरक की मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप उर्वरक द्वारा जल और मृदा प्रदूषण कम होगा।
उच्च उत्पादन लागत और फसल की उत्पादकता में गिरावट और ग्रीन हाऊस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन।	जीरो टीलेज निकलने की पारंपरिक प्रथा और भूमि की सतह टोपोलॉजी की अज्ञानता।	जीरो टीलेज निकलना।
	-	ट्रेक्टर टोवड़ लेजर नियंत्रित डिवाइस के द्वारा समतल सतह को ढूंढ़ सकते हैं ताकि पानी का समान वितरण हो सके, उत्पादकता बढ़ सके।
धान की खेती के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है।	धान की खेती जिसमें सप्ताह में 2-3 बार पानी की आवश्यकता होती है।	धान की खेती को मक्का की खेती से बदलना चाहिए क्योंकि इसे पानी कम मात्रा में लगता है जिसके द्वारा भूजल की कमी के जोखिम को किसी हद तक कम करेगा।
मौसम की स्थिति, नई प्रौद्योगिकियों के बारे में किसानों के बीच जानकारी का अभाव।	जलवायु परिस्थितियों के समुचित ज्ञान, बेहतर किस्म के बीज, नई फसल पद्धति, कीटों के हमले आदि के बिना उत्पादन।	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित कृषि प्रथाओं जैसे SHS सेवाओं के द्वारा हम सलाहकार सेवाएं प्रदान कर सकते हैं व अन्य जानकारी भी जैसे मौसम की जानकारी, उत्तम फसलों का

● **रवि शाह**

क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर

खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कृषि की वह प्रणाली है जिसमें कृषि के स्थायी विकास के साथ आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण के संरक्षण के सिद्धांतों को समावेशित किया जाता है। क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के तीन प्रमुख आधार हैं :-

- कृषि उत्पादन तथा आय का स्थायी विकास।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि अनुकूलन तथा रेजिलिएन्ट (पलटाव)।
- कृषि क्षेत्र से ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को हर संभव कम करना।

क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कृषि की कोई नई प्रणाली नहीं है, बल्कि एक नई अवधारणा है जिसके अंतर्गत कृषि विकास के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों (जल एवं मृदा), पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल देकर कृषि को जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रकोपों से बचाने के तरीकों को अपनाया जाता है। क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिये बदलती जलवायु में तकनीकी, नीति तथा निवेशों की पद्धति में बदलाव लाकर स्थायी कृषि उत्पादन में सुधार किया जाता है।

क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की आवश्यकता - एक ओर जहां भारतीय कृषि का 72 प्रतिशत भाग वर्षा आधारित है वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में मौसम की अनिश्चितता तथा अनियमितता से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय कृषि को मानसून का परिणाम कहा जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2050 तक वैश्विक आबादी 1/3 बढ़ने का अनुमान है। इसी अनुपात में बढ़ती जनसंख्या के लिए उपलब्ध कृषि क्षेत्र में अनुमानित 60 प्रतिशत अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। इस चुनौती को जलवायु परिवर्तन और भी अधिक भयंकर समस्या का रूप दे रही है। अनियमित वर्षा और बढ़ता तापमान फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। वर्तमान परिदृश्य में इस भयंकर समस्या से निपटने के लिए क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ही एकमात्र समाधान है।

क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के क्षेत्र- क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में कृषि क्षेत्र के उन सभी उपक्षेत्रों में कार्य किया जाता है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं तथा जिनका कृषि उत्पादन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान है। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं -

क्लायमेट स्मार्ट जल प्रबंधन - सिंचाई के लिये पर्याप्त जल की आपूर्ति भारतीय कृषि की सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय कृषि पूर्णतः वर्षा पर आधारित है। कुल बुवाई का लगभग 67 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा आधारित है, जो 95 प्रतिशत मोटे अनाज, 91 प्रतिशत दलहन, 80 प्रतिशत तिलहन, 53 प्रतिशत कपास का कुल कृषि उत्पादन में हिस्सेदार हैं। भारत में सिंचाई मुख्यतः कुओं एवं तालाबों से होती है। घटते जल स्तर के कारण फसलों की सिंचाई हेतु जल का अभाव वर्षभर रहता है। क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में फसलों की सिंचाई के लिये जल संरक्षण की नवीनतम पद्धतियों को अपनाया जाता है जैसे- फार्म पोण्ड, बलराम तालाब, स्प्रिंकलर सिंचाई इत्यादि। मृदा में अधिक समय तक जलधारण क्षमता को बढ़ाने के लिए फसल अवशेष या प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे वाष्पीकरण द्वारा मृदा से होने वाले जलवाष्प के नुकसान को रोका जा सके।

रिसाव नियंत्रित सरोवर - इस प्रकार के तालाब में जहां पर एकत्रित जल का मृदा में रिसाव अधिक होता है, वहां पर तालाब बनाकर उसकी तली में पॉलीथिन की शीट बिछाते हैं जिससे सीपेज द्वारा पानी के

नुकसान को कम किया जाता है। सीमांत कृषक जिनके पास सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था न हो उनके लिए यह तकनीक वरदान साबित होती है।

1. क्लायमेट स्मार्ट मृदा प्रबंधन - मृदा प्रबंधन में प्रत्येक खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है। साथ ही मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों की स्थिति से किसान को अवगत कराया जाता है, जिससे कृषकों की फसलों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उचित उपाय किये जा सकें। मृदा उत्पादकता एवं अनुकूलन के लिये विभिन्न प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं :-

- कम से कम मृदा की जुताई करना (शून्य जुताई)
- मृदा सतह को हमेशा ढंककर रखना (मल्चिंग)
- प्रतिवर्ष फसलों की बुवाई बदलकर करना (क्रॉप डायवर्सन)

यूरिया का गहराई में स्थापन - इस तकनीक का आविष्कार अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक सुधार केन्द्र द्वारा किया गया। धान की खेती वाले क्षेत्रों में क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की यह उत्कृष्ट तकनीक है। धान के खेतों में नाइट्रोजन की आपूर्ति मुख्यतः यूरिया द्वारा की जाती है, जिसे खड़ी फसल में बिखेर दिया जाता है। इससे लगभग 60-70 प्रतिशत तक नाइट्रोजन का नुकसान होता है। साथ ही जल में नाइट्रोजन घुलकर जल प्रदूषण तथा वायुमण्डल में उत्सर्जित होकर ग्रीनहाऊस गैसों की सांद्रता को बढ़ाती है।

इस तकनीक में यूरिया के 1 से 3 ग्राम तक के ब्रीकेट्स (कैप्सूल) बनाकर 7-10 से.मी. नीचे रोपित धान के खेत में स्थापित किये जाते हैं। इस तकनीक में नाइट्रोजन के होने वाले नुकसान को 40 प्रतिशत तक कम किया जाता है तथा 50 प्रतिशत तक इसकी उपयोग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

इस तकनीक से धान की पैदावार लगभग 25 प्रतिशत तक बढ़ती है तथा यूरिया की खपत को 25 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। इस तकनीक का व्यापक प्रयोग बांग्लादेश के कृषि प्रसार विभाग द्वारा किया, जिसमें सन् 2009 में लगभग 10 लाख किसानों द्वारा यूरिया के ब्रीकेट्स बनाकर गहराई में धान के खेतों में रोपित किया गया। इस तकनीक के निम्नलिखित लाभ हैं -

- उत्पादन बढ़ने तथा यूरिया की खपत कम होने से कृषि लागत कम हो जाती है जिससे किसान की आय में वृद्धि होती है।
- स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को रोजगार की आपूर्ति होती है।
- पर्यावरणीय तथा जलीय प्रदूषण को रोका जा सकता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर यूरिया आयात को कम किया जा सकता है, जिससे सरकारी खर्चों में कमी की जा सकती है।

2. क्लायमेट स्मार्ट नाइट्रोजन - जिन क्षेत्रों में अनाज वाली फसलों की खेती खरीफ तथा रबी दोनों मौसम में होती है वहां मृदा में नाइट्रोजन का स्तर कम होता है। मृदा में नाइट्रोजन की हानि कई रूपों में होती है। जैसे- पानी में घुलकर बह जाना, सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन का रूप परिवर्तन, वायुमण्डल

में नाइट्रोजन का उत्सर्जन, सिंचाई जल के साथ नाइट्रोजन का फसल के जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाना एवं फसलों से खरपतवारों की नाइट्रोजन प्रतियोगिता। इन सभी रूपों में नाइट्रोजन का नुकसान होता है और नाइट्रोजन का केवल 60 प्रतिशत भाग ही फसलों को मिल पाता है। अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन के नुकसान को रोकने के लिए किसानों को विभिन्न पद्धतियों की जानकारी दी जाती है तथा नाइट्रोजन की स्थिति को खड़ी फसल में जानने के लिए लीफ कलर चार्ट का उपयोग किया जाता है। जिससे खड़ी फसल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके। निम्नलिखित तरीकों से नाइट्रोजन के नुकसान को रोका जा सकता है:-

- बार-बार कम मात्रा में नाइट्रोजन देना (टुकड़ों/हिस्सों में नाइट्रोजन देना)
- स्लो रिलीज नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करना।
- गोबर की खाद, करंज, नीम की खली उर्वरकों के साथ मिलाकर उर्वरक उपयोग क्षमता को बढ़ाना।
- स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का उपयोग करना।
- उर्वरकों का पर्णीय छिड़काव करना।

3. क्लायमेट स्मार्ट फसल अवशेष प्रबंधन - बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं मशीनीकरण से कृषि क्षेत्र में मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण फसलों की कटाई हार्वेस्टर द्वारा की जा रही है, जिससे खेत में अधिक मात्रा में फसल अवशेष छूट जाते हैं। आगामी फसल की बुवाई में कठिनाई से बचने के लिए किसान इस फसल अवशेष को जलाकर नष्ट कर देते हैं जिससे मृदा उर्वरता एवं सूक्ष्म जीवों के साथ पर्यावरण को भारी क्षति होती है। भारत में प्रतिवर्ष कुल 500-550 मिलियन टन फसल अवशेष का उत्पादन होता है जिसमें 70% खाद्यान्न, 13% रेशेदार, 6% तिलहन, 3% दलहन एवं 2% गन्ने की फसलों से फसल अवशेष प्राप्त होता है। इसमें मध्यप्रदेश से प्रतिवर्ष कुल 33.18 मिलियन टन फसल अवशेष पैदा होता है। जिसमें 10.22 मिलियन टन फसल अवशेष अधिशेष बचता है और लगभग 2 मिलियन टन खेतों में आग लगाकर नष्ट कर दिया जाता है।

हार्वेस्टर द्वारा लगभग 1 फुट की ऊंचाई से फसल कटाई की जाती है जिससे प्रति हैक्टर लगभग 3-3.5 टन फसल अवशेष छूट जाते हैं। प्रति टन धान के फसल अवशेष को जलाने पर जिसमें 70 प्रतिशत कार्बन पाया जाता है से 3 कि.ग्रा. कणिकीय पदार्थ, 60 कि.ग्रा. कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 कि.ग्रा. कार्बन डाइऑक्साइड, 199 कि.ग्रा. राख तथा 2 कि.ग्रा. सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अन्य जहरीली गैसें वायुमण्डल में उत्सर्जित होती हैं। फसल अवशेष को जलाते समय मृदा सतह का तापमान लगभग 75-80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिससे मृदा में सूक्ष्म जीव की संख्या एवं पोषक तत्वों का ह्रास होता है। 1 टन धान के फसल अवशेष में 5.5 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 2.3 कि.ग्रा. स्फूर, 25 कि.ग्रा. पोटाश, 1.2 कि.ग्रा. सल्फर और लगभग 70 प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, जो जलाने पर नष्ट हो जाता है।

वर्ष 2011-12 से आज तक मध्यप्रदेश

यूरिया का गहराई में स्थापन

में कृषि क्षेत्र की विकास दर प्रतिवर्ष क्रमशः 19.85%, 20.16% एवं 24.99% के साथ बढ़ रही है। वर्ष 2005 में गेहूँ एवं धान का उत्पादन क्रमशः 73 एवं 13 लाख टन से बढ़कर 2013-14 में क्रमशः 193 एवं 70 लाख टन तक उत्पादन हुआ है। खाद्यान्न फसलों में भूसे एवं दाने का अनुपात 1.3 से 1.6:1 तक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जितना खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है, उसी दर से फसल अवशेष को जलाने की प्रक्रिया भी बढ़ रही है। क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में संरक्षण खेती करके फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाया जाता है जिसके लिए हार्वेस्टर से फसल कटाई करके जिसमें लगभग 30 प्रतिशत फसल अवशेष खेत में बच जाता है को रोटावेटर द्वारा मिट्टी में मिलाया जाता है।

4. मौसम पूर्वानुमान तथा मोबाइल फोन आधारित कृषि मौसम समिति - मध्यप्रदेश में भारतीय मौसम संस्थान, पुणे के विभिन्न उपसंस्थान हैं। इन उपसंस्थानों में मौसम विशेषज्ञों एवं कृषि विशेषज्ञों के द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से आगामी मौसम की जानकारी दी जाना चाहिए। भारत में फसल पकते समय ओलावृष्टि से खेत में खड़ी एवं खलिहानों में रखी फसल की क्षति होती है। क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में मोबाइल के माध्यम से मौसम की जानकारी किसानों को देकर इस क्षति से किसानों बचाया जा सकता है।

5. संरक्षित खेती - संरक्षित खेती में पुष्पों एवं सब्जियों की खेती कांच या पालीथिन का शेड बनाकर नियंत्रित (कंट्रोल्ड कंडीशन) तरीके से करते हैं। इस प्रकार की खेती में अत्यधिक या कम तापमान, हवा तथा किसी प्रतिकूल मौसम से फसलों की रक्षा कर वर्ष भर पुष्पों एवं सब्जियों की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। जिससे सूखा तथा पाला (तुषार) से फसलों को बचाया जाता है। अधिकांशतः पुष्पों और सब्जियों की खेती के लिए 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। जिस खेत में संरक्षित खेती करना हो वहां पर पहले लकड़ी या लोहे की झोपड़ी अथवा घर जैसी संरचना बनाई जाती है तथा उसे फाइबर ग्लास या पॉली फिल्म से ढंक दिया जाता है। ग्रीन शेड में हवा के लिए पंखा या कूलर की व्यवस्था होती है। सिंचाई के लिए टपक या स्प्रिंकलर विधि अपनायी जाती है। मिट्टी से वाष्पीकरण द्वारा जल के नुकसान को रोकने के लिए प्लास्टिक या फसल अवशेष बिछाकर फसलें उगाई जाती हैं। पुष्पों तथा सब्जियों को ग्रीनहाऊस शेड में लगाने के पूर्व नर्सरी में बीजों को बोया जाता है। एक निश्चित समय बाद बीजों की पौध को ग्रीनहाऊस शेड में रोपित किया जाता है। इसके बाद समय-समय पर आवश्यकतानुसार पौधों की वृद्धि के लिए सधाई की जाती है।

6. क्षमता विकास - क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में कृषकों को सीखने-सिखाने तथा नई तकनीकों से अवगत कराने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी समर्थ बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठी, प्रक्षेत्र भ्रमण तथा विधि एवं परिणाम प्रदर्शन आदि के माध्यम से रिसाव नियंत्रित सरोवर द्वारा जल संरक्षण, ताप एवं सूखा अवरोधी किस्मों की खेती, यूरिया का ब्रीकेट्स बनाकर गहराई में स्थापन एवं फसल अवशेष प्रबंधन से मृदा संरक्षण जैसी तकनीकों की जानकारी देकर क्षमता विकास किया जा सकता है।

● रामरतन सिमैया

मौसम परिवर्तन की चुनौती का सामना

वर्तमान समय में क्लायमेट चेंज वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन चुका है। कब पानी आयेगा, कब जायेगा, कब ठंड पड़ेगी, कब गर्मी पड़ेगी, किसी बात की कोई ग्यारंटी नहीं है। इस क्लायमेट चेंज से समूचे विश्व के उद्योग, व्यापार व आम जनजीवन पर प्रभाव तो पड़ा ही है, किन्तु इसका सबसे बुरा प्रभाव किसान समाज पर पड़ रहा है, चूँकि कृषि कार्य की सफलता शत-प्रतिशत मौसम पर निर्भर रहती है।

पाश्चात्य भौतिक विकास की तूफानी दौड़ में जहाँ एक ओर हम प्रतिदिन अपने प्रकृति विरोधी कार्यों से हरित गैसों, कार्बन उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं वहीं दूसरी ओर इन गैसों के अवशोषक एवं पर्यावरण के रक्षक, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप क्लायमेंट चेंज का दानव, पृथ्वी पर अपना पैर पसार रहा है।

वैसे तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई अनेक कारणों जैसे सड़क निर्माण, बड़े जलाशय निर्माण, भवन निर्माण, उद्योगों के लिये, इमारती लकड़ी आदि उद्देश्यों के लिये की जा रही है पर चूँकि लेखक का अधिकांश कार्यक्षेत्र ग्रामीण भारत है अतएव प्रस्तुत लेख में ग्रामीण भारत में वृक्षों की स्थिति, कटाई के कारणों, दुष्परिणामों व उपायों का उल्लेख किया गया है।

मित्रों, हमारे देश की 70 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है एवम् उनमें भी अधिकांश की जीविका कृषि पर निर्भर है। हमनें अपने विगत् 15 वर्षों के ग्रामीण प्रवास में पाया कि ग्रामीण भारत की हरियाली तीव्रगति से कम हो रहा है। चाहे वो खेत तथा भूमि के प्रत्येक इंच से फसल प्राप्त करने की होड़ हो या फिर दैनिक भोजन निर्माण हेतु ईंधन की आवश्यकता हो, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है।

हालात इतने गंभीर हैं कि फल वृक्षों की

बात तो छोड़ ही दें, यहां तक नीम, पीपल, बरगद भी कम हो गये हैं, अधिकांश ग्रामों में बबूल की झाड़ियां ही दिखाई पड़ती हैं खेतों की मेड़ों पर वृक्ष तथा झाड़ लगभग समाप्त हो गये हैं। इस वजह से खेतों में हवा से फसल आड़ी पड़ने, अधिक ठंड व गर्मी से फसल खराब होने की शिकायत बढ़ती जा रही है। वर्षा का वितरण असन्तुलित हो गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई का एक महत्वपूर्ण कारण जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति है। औसतन एक गाँव में प्रतिदिन एक समय की रसोई (भोजन निर्माण में) 5-20 क्विंटल तक (गाँव के आकार के आधार पर) लकड़ी जल जाती है अर्थात् महीने में 30 से 120 टन लकड़ी हर माह जल जाती है जिसके लिये अनेक वृक्षों की बलि चढ़ाई जाती है। पूरे देश के ग्रामों की कल्पना करो, तो क्या स्थिति बनेगी?

सन् 2004-05 के दौरान देवास जिले के उदयनगर क्षेत्र के वनवासी ग्रामों में प्रवास के दौरान हम उस समय भौंचक्के रह गये, जब हमने देखा कि इन ग्रामों में किसान भाई, सागौन की लकड़ी से भोजन पका रहे हैं। यह सिलसिला जारी है। 2004 का वह वनक्षेत्र और आज 2015 की वन स्थिति, वृक्षों की संख्या में अत्यंत कमी हुई है। इसी प्रकार से वन कम होते रहे, तो क्या मौसम हमारा साथ देगा?

यहां एक बात और उल्लेखनीय है कि लकड़ियों की व्यवस्था के लिये ज्यादातर ग्रामीण महिलायें जंगलों में जाती हैं। ऐसे समय में सुनसान स्थानों पर उनके साथ अनहोनी घटना होने की आशंका बनी रहती है।

चाहे वो कश्मीर की, उत्तराखंड की अथवा सुनामी की त्रासदी हो या किसानों की फसल की बरबादी हो। धीरे-धीरे मौसम परिवर्तन का यह दानव समूचे ब्रह्माण्ड पर पैर फैला रहा है। प्रकृति हमें सचेत कर रही है कि हम पर्यावरण के घटकों का रक्षण करते हुए विकास करें।

क्या हम इस क्लायमेट चेंज (मौसम परिवर्तन) के दानव को हरा नहीं सकते?

अवश्य हरा सकते हैं - आवश्यकता है प्रबल इच्छा शक्ति की। सरकारी, गैर सरकारी संगठन तथा किसान समाज को मिलकर कार्य करने की।

ग्रामीण भारत के हरित माधुर्य को लौटाने के लिए एवं हरित गैसों, कार्बन

उत्सर्जन को कम करने के लिये (क्लायमेट चेंज के दानव से बचने के लिये) पाँच मुख्य सुझाव :-

1. मेड़ खेती को बढ़ावा देकर - इसके अंतर्गत खेतों की मेड़ों पर लाभकारी वृक्ष, झाड़ियों जैसे गिरिपुष्प, सुरजना, मेहंदी आदि के रोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। इससे न सिर्फ हरियाली बढ़ेगी अपितु खेत की सूक्ष्म जलवायु सुधरेगी जिससे फसलों पर कीट रोगों का प्रकोप कम होगा। भूमि में जीवांश पदार्थ बढ़ने से जल धारण क्षमता बढ़ेगी। आंधी तूफान की स्थिति में फसलें आड़ी पड़ने की समस्या कम होगी।

दायित्व - कृषि विभाग, गैर सरकारी संगठन, ग्रामीण विकास तथा पंचायत विभाग एवं किसान

2. खेती के साथ फल वृक्षों की खेती को बढ़ावा देकर - क्षेत्र की जलवायु के अनुसार आम, जाम, नींबू, अनार आदि लाभकारी फल वृक्षों की खेती से अधिक आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। आर्थिक लाभ दिखने पर किसान स्वयं ही इन्हें लगाने के लिये प्रेरित होंगे जिससे अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण सुधार का कार्य भी होगा।

इस हेतु पंचायत स्तर पर नर्सरी बनाकर उन्नत पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये साथ ही तकनीकी एवम् विपणन सहयोग भी दिया जाना चाहिए।

दायित्व - उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास तथा पंचायत विभाग, गैर सरकारी संगठन एवम् किसान

3.सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देकर - प्रत्येक गांव के आसपास पड़त भूमि पर सामाजिक उपवन, मनोरंजन बगीचे, जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाना चाहिए। यहां गांव की पाठशाला के बच्चों द्वारा वृक्षारोपण कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार पितरों की याद में वृक्षारोपण आदि कार्यों द्वारा टिकाऊ उपवन निर्माण किया जा सकता है।

दायित्व - सामाजिक वानिकी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास तथा पंचायत, गैर सरकारी संगठन एवम् किसान

4. टिकाऊ गोबर गैस विकास कार्यक्रम - आज देश में गोबर गैस के अनेक सफल मॉडल हैं। यह एक अत्यंत प्रभावकारी तकनीक है, परन्तु इसके निर्माण एवं संचालन में लापरवाही बरतने पर यह तकनीक फेल हो जाती है। आज आवश्यकता है, गोबर गैस निर्माण के लिए कुशल कारीगरों की टीम तैयार करने की। आवश्यकता है, किसान परिवार (विशेषकर महिलाओं) को गोबर गैस के निर्माण, संचालन एवं लाभ के विषय में जागरूक करने की। इस तकनीक से न सिर्फ धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है बल्कि उन्नत जैविक खाद भी प्राप्त होती है। इसके निर्माण से बड़े स्तर पर वृक्षों की कटाई पर रोक लगाकर, पर्यावरण संरक्षण कार्य किया जा सकता है।

आज देश के कई आदर्श गाँव हैं, जहाँ किसान परिवार द्वारा वर्षों से गोबर गैस का सफल संचालन किया जा रहा है। (किसान परिवारों द्वारा गोबर गैस के निर्माण एवम् संचालन करने पर शासकीय योजनाओं के लाभ का प्रोत्साहन भी यदि शासन करे तो यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा)

दायित्व - कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, वन विभाग, प्रशासनिक विभाग, गैर-सरकारी संगठन एवं किसान

5. फसल/वनस्पति अवशेष प्रबंधन विषय में जागरूकता द्वारा - वृक्षों की कटाई के अलावा कुछ ऐसे गलत कार्य हैं जिससे बहुत अधिक हरित गैसें, कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्रामीणों द्वारा फसल तथा वनस्पति अवशेष को जलाना। फसल अवशेष जलाने से मूल्यवान जैविक कार्बन जल जाता है। इसका भूमि के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है साथ ही इस कार्य से बहुत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण फैलता है। दुर्घटनायें घटित होने की आशंका बनी रहती है। पाठकों ने गेहूँ की कटाई के समय पर प्रवास के दौरान अनेक खेत जलते देखे होंगे।

फसल तथा वनस्पति अवशेष प्रबंधन विषय पर किसान समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। ऐसे कृषि यंत्रों के प्रसार की आवश्यकता है जो फसल अवशेष को बारीक कर भूमि में मिला देवें। आवश्यकता है, फसल और वनस्पति अवशेष को उन्नत जैविक खाद में बदलने की तकनीक के प्रसार की।

दायित्व - कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, वन विभाग, गैर-सरकारी संगठन एवं किसान

मित्रों, हमारा यह प्रबल विश्वास है कि यदि उपरोक्त सुझावों पर सरकारी, गैरसरकारी संगठन एवं किसान समाज मिलकर कार्य करें तो निश्चित ही क्लायमेट चेंज के दानव को आसानी से हराया जा सकता है। गांव के हरित माधुर्य को लौटायें, क्लायमेट चेंज (मौसम परिवर्तन) के दानव को हरायें।

● **अजीत शरद केलकर**

दक्षिण भारतीय इतिहास में पंचायती राज

भारत में पुरातनकाल में पंचायत व्यवस्था ग्रामीणों द्वारा स्वतः संचालित थी। ग्राम स्वायत्तता के संदर्भ में प्रत्येक ग्राम का प्रशासन स्वयं ग्रामीणों द्वारा ही किया जाता था। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य ने पंचायत व्यवस्था की जड़ें मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पंचायत व्यवस्था के पूर्व इतिहास और किये गये प्रयासों पर केन्द्रित आलेख की श्रृंखला प्रस्तुत कर रही हैं - श्रीमती मुक्ति श्रीवास्तव

चोल साम्राज्य के भी पहले से पंचायत व्यवस्था देश में थी, तमिल प्रदेश में थी। पांड्य वंश के समय ब्राह्मण ग्रामसभा, जिस सभा कहते थे, प्रत्येक ब्रह्मदेय गांव का सांस्थानिक केन्द्र हुआ करती थी। अंबासमुद्रम की सभा ने मंदिर के परिचारकों के निर्वाह के लिए जमीन दी थी और मंदिर मामलों के लिए स्थानीय देवस्थान निधियों का प्रबंधन भी वह करती थी। ग्राम किसी 'नादु' में स्थित होते थे। अभिलेख बताते हैं कि एक समय यह दर्ज हुआ कि क्षेत्र की 32 नादु में से सिर्फ दो में वास्तव में पारंपरिक सूत्रों के अनुसार (नादक्का इसैंथा नत्तोम) सभा हुई। शायद यह वैसे ही था जैसे आजकल हम यह दर्ज करते हैं कि शासन के नियमों के अनुसार कितनी ग्राम पंचायतें ग्रामसभा का आह्वान और संचालन करती हैं। संगम काल की तिरुनेल्वेली में, कुदानादु में स्पष्ट रूप से ऐसी ग्राम पंचायतें कार्यरत थीं - मध्यकाल में भी जो भूमि की ग्रांट देती थीं, कर एकत्र करती थीं और राजकीय आदेशों को प्रसारित करती थीं। इन्हीं के साथ-साथ जातीय सभाएं भी थीं। ये सभी संस्था - प्रकार पास-पास, साथ-साथ होते थे और उनमें काफी अन्तर्संबन्ध भी होते थे। 'उर' भूमि, श्रम, सेवा समूह और सिंचाई से जुड़े लोगों से मिलकर बनी सभा होती थी जिसके अन्तर्गत आने वाले प्रभावशाली व्यक्ति वेल्लालर, वेलाकार, कारालार, जैसे नामों से जाने जाते थे। इन वेल्लालर ने सामूहिक सामुदायिक संगठन बना रखे थे जो सिंचाई का सामूहिक प्रबंधन तो करते ही थे, मंदिरों को धन देने, जल अधिकार आबंटित करने, भूमि बेचने का कार्य भी करते थे। अधिकारों को स्थानीय मान्यता उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितना राज्य के प्रति जिम्मेदारी। दक्षिण भारत के कुछ राजाओं ने प्रशासनिक वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली संचालित कर दस अथवा उसके गुणित ग्रामों के जनपद निर्मित किए थे।

चोलों के समय यही पांड्य-पंचायत व्यवस्था जारी रही, यद्यपि अर्हताओं और आवश्यकताओं में तथा व्यय की अनुमति में विभेद मिलते हैं। आमसभा नादघोष के बीच बुलाई जाती थी और सामान्यतः मंदिर की सीमाओं में ही इसकी बैठक होती थी। ग्रामसभाओं में अन्तःपरिवर्तन और सहयोग अज्ञात नहीं था। ग्रामसभा सरकार के लिए शुल्कों को एकत्र करने के लिए उत्तरदायी थी। कई मामलों में सम्पूर्ण गांव का संयुक्त शुल्क एकत्र किया जाता था। साथ ही किसी विशेष उद्देश्य मसलन तड़ाग के निर्माण के लिए सभा लेवी भी लेती थी। ये कर राज्य के लिए एकत्र होने वाले करों से अलग रखे जाते थे। सभा की गतिविधियों में प्रलेखों का रखा जाना, खासकर वे प्रलेख जो दानों और करों से सम्बद्ध हों, कृषि संबंधी विवादों का निपटारा जैसे पट्टे और सिंचाई अधिकारों पर झगड़े, आदि शामिल थे। वृहद् सभाएं वेतनभोगी अधिकारियों का एक छोटा स्टाफ रखती थीं, हालांकि छोटे गांवों का अधिकतर कार्य स्वैच्छिक आधार पर होता था। समिति के सदस्यों को 'वारियपेरूमक्कल' कहा जाता था। 'महासभा' को 'पेरूपुरी' और सदस्यों को 'पेरूमक्कल' कहा जाता था। भूमि संबंधी सभी परिवर्तनों पर केन्द्रीय सरकार महासभा की स्वीकृति लेती थी। यह सरकारी कर्मचारियों को उत्पादन का अनुमान लगाने और लगान निश्चित करने में सहायता देती थी। जो लगान नहीं देता था उसकी भूमि को वह नीलाम करा सकती थी। उसकी न्याय समिति गांव के सभी असैनिक और फौजदारी के झगड़ों का निर्णय करती थी। महासभा स्थानीय सड़कों, तालाबों, सिंचाई के साधनों, दान और धर्म के हेतु दी गई भूमि, सम्पत्ति, मंदिर आदि सभी की देखभाल करती थी। बाहरी आक्रमणों से यह ग्राम की रक्षा करती

थी और विशिष्ट ग्राम रक्षकों को पुरस्कार दिया जाता था। ग्राम परिषदों को ग्राम के मामलों में पूर्णाधिकार दिया जाता था और केन्द्रीय सरकार साधारणतः उनमें हस्तक्षेप नहीं करती थी। ग्राम द्वारा दिए जाने वाले टैक्सों के लिए ग्राम परिषदें उत्तरदायी थीं। एक ग्राम परिषद के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और राजस्व को न दी गई रकम के कारण उन्हें बंदी बना दिया गया। एक अभिलेख में कहा गया है कि राज्याधिकारी समय-समय पर ग्राम परिषदों के हिसाब-किताब का निरीक्षण करते थे। अपने कर्तव्यों की पूर्ति न करने की स्थिति में ग्राम परिषदों को दण्ड दिया जा सकता था। एक बार राजा ने एक ग्राम परिषद पर जुर्माना लगाया क्योंकि ग्राम मंदिर ने शिकायत की कि ग्राम परिषद उसके लिए निर्धारित धन के कुछ भाग का अवैध उपयोग कर रही थी। ग्राम परिषद भी ग्राम के मंदिर के किसी सेवक की शिकायत राजा के पास कर सकती थी। परिषद द्वारा स्वीकृत कुछ विनियमों के लिए राजा की स्वीकृति आवश्यक थी। प्राण-दण्ड की पुष्टि राजा द्वारा होनी अनिवार्य थी। संबंधित ग्राम की परिषद से ग्राम के दरजे को प्रभावित करने वाले किसी राजपत्र को पंजीयित करने और प्रलेखागार (Record Office) में भेजने से पहले स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। प्रतीत होता है कि कभी-कभी ग्राम परिषद के सदस्य सार्वजनिक कार्य के लिए राजा से भेंट भी करते थे। कभी-कभी राजा अपने कर्मचारियों को अपने आदेश ग्राम परिषद के माध्यम से भेजता था। ग्राम परिषद और राजा के बीच श्रेष्ठ संबंधों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। कई अभिलेखों में राजा के स्वास्थ्य के लिए या विजयोत्सव मनाने के लिए ग्राम परिषद की ओर से उपहार के उल्लेख मिलते हैं।

नीलकंठ शास्त्री ने उचित ही लिखा है : 'एक सुयोग्य नौकरशाही और ऐसी सक्रिय स्थानीय संस्थाओं के मध्य जो विविध प्रकार से नागरिकता की भावना का पोषण करती थीं, शासन शुद्धता तथा निपुणता का एक ऐसा श्रेष्ठ स्तर प्राप्त कर लिया गया था जो संभवतया हिन्दू राज्य द्वारा प्राप्त किया सर्वोच्च स्तर था।'

उस समय के गांव काफी हद तक स्वशासी थे। उनमें संचालित जनतांत्रिक शक्तियां शायद उन शक्तियों से भी ज्यादा शक्तिशाली थीं जो आधुनिक समय में भारत पर इतनी मेहनत से थोपी गई हैं। यहां सभा में प्रत्येक ग्राम के सभी वयस्क सदस्य होते थे। इन सभाओं की बहुत सी समितियां होती थी। तालाबों का रखरखाव स्थानीय निकायों का प्रमुख काम था। संसाधन स्थानीय तौर पर उगाहे जाते थे, हालांकि राजकीय दान भी मिलना संभव था। हर गांव में कुछ भूमि, कुछ खेत का खेत या थोड़ा अंश सरोवर प्रबंधन हेतु पृथक रख देते थे जो लगान मुक्त होता था।

दरअसल स्थानीय स्वायत्तता तमिलनाडु ही नहीं, कर्नाटक (मैसूर) में भी ग्राम्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। सर पर्सीवल ग्रिफिथ्स ने लिखा है : 'उस समय के गांव काफी हद तक स्वशासी थे। उनमें संचालित जनतांत्रिक शक्तियां शायद उन शक्तियों से भी ज्यादा शक्तिशाली थीं जो आधुनिक समय में भारत पर इतनी मेहनत से थोपी गई हैं।' यहां सभा में प्रत्येक ग्राम के सभी वयस्क सदस्य होते थे। इन सभाओं की बहुत-सी समितियां होती थीं। ग्राम निकायों का सिंचाई प्रबंधन पर जो सम्पूर्ण नियंत्रण था उसका एक अनुमान उन हस्तांतरणों से लगाया जा सकता है जिनमें ये निकाय प्रवृत्त होते थे। वे अन्य ग्रामीण निकायों से पानी खरीदते थे, कभी-कभी आयाकट, बांध, नहर समेत पूरा तालाब बेच देते थे, कभी तालाब के पानी में आंशिक हिस्सों का सौदा होता था, कभी नए सिंचाई अधिकारों का सृजन कर लेते थे। तालाबों का रखरखाव स्थानीय निकायों का प्रमुख काम था। संसाधन स्थानीय तौर पर उगाहे जाते थे, हालांकि राजकीय दान भी मिलना संभव था। हर गांव में कुछ भूमि, कुछ खेत का खेत या थोड़ा अंश सरोवर प्रबंधन हेतु पृथक रख देते थे जो लगान मुक्त होता था। ऐसी भूमि को मान्यम् कहते थे। उप्पार और वादी मान्यम् से तालाबों की छोटी-मोटी टूट-फूट ठीक करते थे। उरणी मान्यम् से उन कहारों को वेतन मिलता था जो तालाबों का पानी पेयजल हेतु घरों तक ले जाते थे। वायक्कल मान्यम् से नहरों का रख रखाव होता था। अलौति मान्यम् मजदूरों की मजदूरी के लिए था। पानी के प्रबंध के लिए कई तरह का श्रम विभाजन था जिसके लिए मान्यम् भूमियां काम आती थीं। स्थानीय संस्थाओं का शासी निकाय तालाबों में नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। 1202 ई. का एक महत्वपूर्ण अभिलेख बताता है कि अपने बीच के झगड़ों के कारण जल स्त्रोतों को हुए नुकसान के लिए शासी निकाय के सदस्यों ने स्वयं का उत्तरदायित्व निर्धारण किया था। कुछ क्षेत्रों में मान्यम् की तरह 'एरीपत्ती' भूमियां रखी जाती थीं। 'पासीपत्तम' या 'मीनपत्तम' वह राशि थी जो ग्रामसभा तालाब में मछली पकड़ने का पट्टा देने से प्राप्त करती थी। केन्द्रीय सरकार को भू राजस्व देने के लिए ग्राम का समग्र उत्तरदायित्व था। इसने स्थानीय निकायों को यह सुविधा दी कि वे व्यक्तियों पर उनकी परिस्थितियों के अनुसार कर भार कम या ज्यादा कर सकें।

पंचायतों को जमीन के उक्त तरह के सौदे करने और उनका उपयोग- निर्धारण करने के ऐसे विस्तृत अधिकार क्या आजकल की पंचायतों के पास हैं? चेन्नई की संस्था 'पेट्रियाटिक एंड पीपुल्स ओरिएंटेड साइंस एंड टेक्नोलोजी ग्रुप' ने तमिलनाडु की अत्यन्त सम्पन्न 'एरी' परम्परा पर गहन शोध किया है। वहां ग्राम पंचायतों के भीतर ही 'एरीवार्यम्' नामक संस्था होती थी जिसमें ग्राम के छह सदस्य एक साल के लिए नियुक्त होते थे। एरी माने सिंचाई तालाब। इन्हें बनाना, इनका प्रबंधन, इनकी देखरेख, इसके लिए संसाधन

एकत्रण आदि काम वार्यम संस्था के सदस्यों के जिम्मे माना जाता था। इसके वास्ते एक छोटी कर संग्रह समिति भी होती थी। करारोपण की यह पद्धति जिसमें स्थानीय निकाय स्थानीय उद्देश्यों से कर इकट्ठा करें, माफ करें, निलंबित करें और राजा को मामला कभी संदर्भित भी न हो, स्थानीय स्वायत्तता का अपूर्व उदाहरण था। 'उरई द्रव्यम्' या 'ईरई कवल' ऐसा एकमुश्त भुगतान था जो ग्रामसभा केन्द्रीय सरकार आदि को करती थी। राज्य भी - राजा भी - इस प्रबंध में मदद करते थे। वे सिंचाई कार्यों के लिए संरचनाएं भी बनवाते थे, वे मंदिरों के पक्ष में निधान रचते थे जिससे सार्वजनिक परिसंपत्तियां बन सकें और उनका रखरखाव चल सके, वे उन लोगों को भूमि - अनुदान के रूप में पुरस्कृत करते थे जिन्होंने किसी सार्वजनिक काम में बढ़ चढ़कर मदद की हो, वे राज्यादेश से लोगों को किसी सार्वजनिक परिसंपत्ति के संवहन के लिए बाध्य भी करते थे, उनके भेजे अधिकारी स्थानीय निकायों के आमंत्रण पर गांव के झगड़े भी सुलझाते थे। फिर भी कुल मिलाकर राज्य अपनी मर्यादा समझता था तमिलनाडु और कर्नाटक की प्राचीन ग्रामसभाओं के संसाधन संग्रहण के बारे में अभिलेखों से कई बिन्दुओं पर रोशनी पड़ती है। इसके कई तरीके थे, कई उदाहरण। सबसे प्रमुख था ग्राम समुदाय का नियमित योग। पोनपंडई के निवासियों ने हर फसल से एक कड़ी धान तालाब के लिए देना तय किया था। हर 'पत्ती' पर अनाज की वार्षिक लेवी ली जाती थी। मदुरांतकापेरेरी तालाब के हितग्राही 'एरियम' के रूप में एक 'कालम' धान देते थे। बाहुर और त्रिभुवनी में रैयत से हर एक 'मा' भूमि के लिए एक 'पडक्कू' अनाज का 'एरियम' लिया जाता था। दूसरा था : दंड शुल्क, 11वीं सदी के एक अभिलेख के अनुसार तंबाकू खाने वालों पर एक कलांजू स्वर्ण देने का दंड अधिरोपित किया गया था। पेड़ों, बांधों, कुओं, तालाबों आदि को नुकसान पहुंचाने वालों पर कुलोत्तुंग तृतीय (1202 ई.) के 24वें साल में 'वडा सिरूवयालनाडु' के 'किरानुर' की 'उरार' सभा ने अपनी जमीन से 0.5 मा या 0.5 कानी देने जैसे दंड अधिरोपित किए थे। उत्तरामल्लूर में 804 ई. में कुछ रैयत ने अपने जमीन पर देय राशि जब अदा न की तो ग्राम सभा ने उनका बकाया चुकता किया और तीन साल के लिए उनकी जमीन ले ली। इस प्रकिया में यदि कोई आपत्ति करता तो उसे 'ग्रामकंटक' समझा जाता था। तीसरा स्त्रोत था भू-विनिमय का : छेंगलापत्तू जिले के कुर्रम ग्राम में दूसरी शती के उत्तरार्द्ध का एक ताम्रपत्र मिला है जो यह बताता है कि तालाब के द्वारा सिंचित भूमि को 25 भागों में बांटा गया था जिनमें से 5 सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अलग रख लिए गए थे। गांव छोड़कर चले जाने वाले कितने ही डिफाल्टर्स की जमीनों को 'उरार' के द्वारा बेच दिया गया था। पुन्ननगुडी की 'उरार' ने मुवानेरी तालाब की सार्वजनिक नीलामी कर दी थी। चोल सम्राट राजराजा द्वितीय के 15वें वर्ष में तंजोर जिले के तिरूवयपदी के शासी निकाय के बांध और नहर बनाने वास्ते कुछ सामूहिक मगर बंजर भूमि बेची थीं। 1222 ई. में सत्तामंगलम् गांव में दो ग्राम सभाएं थीं। एक हिन्दू 'देवदान' के लिए, दूसरे जैन 'पालकंडम' के लिए। दोनों ग्राम सभाओं ने एक तालाब और एक बगीचा बनाने के लिए गांव की कुछ भूमि अलग रख ली थी। चौथा स्त्रोत था : व्यक्तिगत दान से प्राप्त राशि का। पल्लव राजा दंतीपोत्तरासर के नवें वर्ष ने एक व्यक्ति ने अपने जमीन का निधान (endowment) ग्राम सभा के पक्ष में किया जिसे सभा ने स्वीकार किया। पल्लवों के समय बने उत्तरामल्लूर तालाबों के लिए एक हजार कलांजू सोने का उपहार एक प्रमुख सामन्त ने सभा को दिया था। पांचवां स्त्रोत था : राज्य या राजा जिसका समर्थन भी कम न था। 1177 ई. में जमीन का एक अनुदान मद्दूर के नृसिंहदेव ने किया था। कर्नाटक की पंचायतों का अध्ययन कर मध्यप्रदेश की पंचायतों को तुलना-तर्क से कोसने वाली ध्रुव समिति ने कर्नाटक की इन पुराचीन पंचायतों को किसी सीख के लायक नहीं समझा।

प्राचीन और मध्यकालीन केरल में स्थानीय स्वशासन की इकाई थी 'तारा' जिस की अपनी सभा-कुट्टम- होती थी जिसमें ग्रामवृद्ध - करनावर या मुखस्थान या प्रमाणी - एकत्र होते थे। केरल की ताराकुट्टम ग्राम गणतंत्र का अच्छा उदाहरण थीं। सामान्यतः ग्राम मंदिर के सामने वट वृक्ष की शीतल छाया में 'आसन' की अध्यक्षता में उनकी बैठकें होती थीं जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के मामलों पर विमर्श होता था। इसमें निर्णय बहुमत से होता था। मलाबार पर लिखते हुए विलियम लोगन से सर थामन मनरो और बार्डन की तारा संस्थाओं के महत्व को न पहचानने के कारण आलोचना की थी। उसके ऊपर 'देसम' थी और उसके ऊपर नादु : नादु जिला स्तरीय इकाई थी जिसके लिए एक नादुकुट्टम (जिला स्तरीय सभा) भी थी और एक 'नादुवक्षी' (वंशानुगत जिलापति) भी। लोगन के अनुसार नादु ताराओं का समूह थी और उसकी कुट्टम ने कई बार राजा के प्राधिकार को भी शून्य बना दिया और अवांछित काम करने वाले राजमंत्रियों को भी उसने दंडित करवाया। नादुकुट्टम ने मदुरै के नायकों द्वारा दक्षिणी त्रावनकोर पर आक्रमण करते समय जिस राजनीतिक चेतना का परिचय दिया वह 'आक्रमणों से लापरवाह' रहने वाले 'ग्राम गणतंत्रों' की मेटकाफ-रचित छवि से काफी भिन्न पड़ती है। इसके अलावा केरल में कई जात पंचायतें या आदिवासी पंचायतें भी थीं जैसे कनिक्कर, उलादा या नायदि, मुधुवास, पुल्या, कम्मालस, मुकुवन, आर्य, वाल, मुग्या, कमाला आदि जातियों की। शायद लोगों को दक्षिण भारत के उल्लेख ज्यादा शास्त्रीय लगें लेकिन संस्कृताइजेशन से भी कहीं वृहत्तर था पंचायतीकरण। इसका प्रमाण नागालैण्ड जैसे सुदूरवर्ती इलाकों से भी मिलता है। एक शासकीय रिपोर्ट कहती है : 'भूमि का स्वामित्व और व्यक्ति का इसे इस्तेमाल करने का हक लगभग पूरी तरह से परंपरा और उन रवायती कानूनों द्वारा निश्चित होता है जो अलिखित हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रयुक्त होते हैं और किसी विवाद की हालत में पारंपरिक ग्राम परिषद द्वारा मुखरित और व्याख्यायित होते हैं। ग्राम परिषद भूमि पर सामुदायिक कार्रवाइयों को निदेशित करने और मिल्कियत के बारे में रियायती कानूनों की व्याख्या करने वाला निकाय है।'

मध्यप्रदेश ग्रामीण नल-जल योजना के संचालन और संधारण नियम

मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई नल-जल प्रदाय योजना के संचालन और संधारण के लिए नियम बनाए गए हैं जिसके तहत गांवों में नल-जल योजना का संचालन पेयजल उप-समिति द्वारा किया जायेगा। पेयजल उप-समिति का गठन जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम सभा की अनुशंसा पर करेगा। मध्यप्रदेश ग्रामीण नल-जल योजना संचालन और संधारण नियमों का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में किया गया है। इसे मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 जनवरी 2015-पौष 30, शक 1936
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 2015

क्र. एफ-16-2-2012-बाईस-पं.-2.-राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 7 के खण्ड (ठ) तथा धारा 53 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, नियम बनाती है, इन नियमों का प्राथमिक प्रकाशन धारा 95 की उपधारा (3) अनुसार पूर्व में किया जा चुका है :- अर्थात्

यह नियम मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

नियम

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना संचालन एवं संधारण नियम, 2014 है।

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक सन् 1994);

(ख) **"बिल संग्रहकर्ता"** से अभिप्रेत है, ग्राम में पेयजल योजना के माध्यम से प्रदाए कराए जा रहे पेयजल के लिए उपभोक्ताओं से जल प्रभार एकत्र करने के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति;

(ग) **"व्यावसायिक कनेक्शन"** से अभिप्रेत है, ऐसे नल कनेक्शन जिसमें उपभोक्ता द्वारा जल का उपयोग डेयरी, वाहनों की सर्विसिंग, कपड़ों की धुलाई और निजी अस्पतालों आदि के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। इसमें निजी शिक्षण स्वास्थ्य संबंधी और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के प्रयोजन भी सम्मिलित हैं;

(घ) **"उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है, ग्राम में निवासरत वह व्यक्ति/संस्था जो उसकी पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति नल-जल प्रदाय योजना के माध्यम से समुचित प्रक्रिया द्वारा उपयोग कर रहा हो, और इसमें ऐसे परिवार भी सम्मिलित हैं, जो स्टैंड पोस्ट से पेयजल लेते हैं;

(ङ) **"ग्रामीण जल प्रदाय योजना"** से अभिप्रेत है, किसी एकल ग्राम में पाइप लाईन प्रणाली के माध्यम से पेयजल प्रदाय की प्रक्रिया;

(च) **"गृहस्थी (हाऊस होल्ड) कनेक्शन"** से अभिप्रेत है, पाइप लाइन प्रणाली के माध्यम से ग्राम में नल-जल प्रदाय योजना के अंतर्गत घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए लिया गया जल कनेक्शनः

(छ) **"औद्योगिक कनेक्शन"** से अभिप्रेत है, ग्राम में नल-जल स्कीम के माध्यम से औद्योगिक उपयोग के प्रयोजन के लिए लिया गया जल कनेक्शन;

(ज) **"संस्थागत कनेक्शन"** से अभिप्रेत है, ऐसा कनेक्शन, जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं, सरकारी अस्पतालों, आंगनवाड़ी केन्द्रों और अन्य सरकारी कार्यालयों, भवनों तथा संगठनों के लिए लिया गया हो;

(झ) **"पेयजल उप-समिति"** से अभिप्रेत है, नियम 3 के अधीन गठित नल-जल प्रदाय योजना का प्रबंधन, संचालन तथा संधारण करने वाली उप-समिति;

(ञ) **"समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजना"** से अभिप्रेत है, समुचित पाइप लाइन प्रणाली के माध्यम से एक से अधिक ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजना;

(ट) **"सार्वजनिक नल (स्टैंड पोस्ट)"** से अभिप्रेत है, पेयजल प्रदाय योजना के अधीन स्थापित ग्राम में ऐसे सार्वजनिक नल कनेक्शन, जिसका उपयोग सामान्यतः आसपास के निवासियों द्वारा पेयजल के लिए किया जा रहा हो;

(ठ) **"जल कर (टैरिफ)"** से अभिप्रेत है, प्रत्येक घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा संस्थागत कनेक्शन के लिए और स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पेयजल प्रदाय करने के लिए जल कर प्रभार। ये प्रभार संचालन व्यवस्था के व्यय के लिए उपगत होंगे।

3. पेयजल उप-समिति का गठन - (1) जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्राम सभा की अनुशंसा पर एक पेयजल उप-समिति का गठन करेगा।

(2) पेयजल उप-समिति ग्राम के प्रत्येक गली/वार्ड/मोहल्ले के एक पुरुष तथा एक महिला सदस्य से मिलकर बनेगी।

(3) पेयजल उप-समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में से कम से कम एक महिला सदस्य नामनिर्दिष्ट होगी। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का परिवार उपलब्ध नहीं है तो यह नियम लागू नहीं होगा।

4. पेयजल उप-समिति का अध्यक्ष - उप-समिति के अध्यक्ष को पन्द्रह दिन के भीतर सदस्यों की पारस्परिक सहमति से निर्वाचित किया जाएगा, यदि किन्हीं कारणों से अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं किया जा सकता है तो सदस्य उन्हीं में से हिन्दी वर्णमाला के वर्णक्रमानुसार अध्यक्ष का चयन करेंगे, जो पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

5. पेयजल उप-समिति की अवधि - पेयजल उप-समिति की अवधि पांच वर्ष की होगी। जनपद पंचायत द्वारा ग्राम सभा की अनुशंसा पर समिति की अवधि को आगामी पांच वर्ष की कालावधि के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। यदि विद्यमान पेयजल उप-समिति का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो अवधि को आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए पुनः बढ़ाया जा सकेगा।

6. पेयजल उप-समिति का सदस्य सचिव - पेयजल उप-समिति के सचिव को सदस्यों की पारस्परिक सहमति से निर्वाचित किया जाएगा, पेयजल उप-समिति के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन उप-समिति के सचिव द्वारा किया जाएगा।

7. पेयजल उप-समिति की वित्तीय व्यवस्था - (1) पेयजल उप-समिति का किसी बैंक में एक पृथक बचत बैंक खाता खोला जाएगा। खाता अध्यक्ष और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा।

(2) जल कर के रूप में इकट्ठी की गई रकम तथा पेयजल शीर्ष के अधीन राज्य सरकार तथा ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त अनुदान को इस खाते में जमा किया जाएगा।

(3) जल दर के रूप में प्राप्त रकम का उपयोग बिजली बिल के भुगतान, मोटर पंप के संचालन तथा संधारण, पाइप लाइनों के संधारण तथा नल-जल प्रदाय योजना के समस्त अन्य सुसंगत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(4) रकम की प्राप्ति तथा उपगत व्यय की दैनिक आधार पर कैशबुक में की गई समुचित मासिक लेखों की प्रविष्टियों का संधारण रजिस्टर में

किया जाएगा। यह अभिलेख दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, एक प्रति पेयजल उप-समिति के सचिव के पास रखी जाएगी।

(5) उप-समिति का सचिव, लेखे का संधारण करेगा। वार्षिक लेखा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। चालू वर्ष में प्राप्त रकम और उपगत व्यय के आधार पर आगामी वर्ष का बजट तैयार किया जाएगा।

8. पेयजल उप-समिति की बैठक - (1) पेयजल उप-समिति की बैठक प्रत्येक माह की जाना आज्ञापक है और यदि आवश्यक हो तो वह एक बार से अधिक की जा सकेगी। बैठक की तारीख, समय, कार्यसूची (एजेंडा) तथा बैठक की सूची पेयजल उप-समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् उप-समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी की जाएगी।

(2) उप-समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी और यदि उप-समिति की बैठक में गणपूर्ति नहीं है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाएगी। स्थगित बैठक पुनः प्रारंभ होने पर गणपूर्ति का पूरा होना आज्ञापक नहीं है।

(3) उप-समिति के कार्यवाही रजिस्टर में कार्यवृत का अभिलेख किया जाएगा। उप-समिति के सचिव पारित संकल्पों को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करेंगे। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्य रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे और फिर क्रमशः सदस्य सचिव तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर तथा प्रतिहस्ताक्षर भी किए जाएंगे।

(4) यदि कोई सदस्य बिना अवकाश लिये समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता उप-समिति के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन से समाप्त कर दी जाएगी।

9. उप-समिति की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य - (1) उप-समिति, पेयजल प्रदाय योजना के प्रबंधन तथा संधारण के अधीन उद्गृहीत की जाने वाली जल टैरिफ की दरों को नियत करेगी। जल दर (टैरिफ) घरेलू कनेक्शन, स्टेण्ड पोस्ट, व्यावसायिक कनेक्शन तथा औद्योगिक कनेक्शन पर आधारित होंगी। जल दर की न्यूनतम दर अनुसूची-1 के अनुसार होगी। सरकारी निकायों के कनेक्शन घरेलू कनेक्शनों की तरह माने जाएंगे। यदि अपेक्षित हो, तो उप-समिति विहित न्यूनतम दर से अधिक जल दर उद्गृहीत करने में सक्षम है।

(2) कनेक्शन के आवंटन के पूर्व पेयजल उप-समिति द्वारा उपभोक्ता के साथ एक संविदा/अनुबंध किया जाएगा। कनेक्शन के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर ग्राम सभा को निर्दिष्ट किया जाएगा और ग्राम सभा का विनिश्चय अंतिम तथा समस्त संबंधित पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(3) नये घरेलू, संस्थागत, व्यावसायिक और औद्योगिक नल-जल कनेक्शन के लिए सुरक्षा रकम पेयजल उप-समिति द्वारा अनुसूची-2 के अनुसार विनिश्चित की जाएगी। किसी दशा में, यदि उपभोक्ता नल कनेक्शन का विच्छेदन चाहता है तो जल दर का बकाया, टूट-फूट, क्षतिपूर्ति आदि, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात्, सुरक्षा रकम वापस की जाएगी।

(4) नये घरेलू संस्थागत और स्टैंड पोस्ट कनेक्शन "आधा इंच" व्यास अर्थात् (15 मि.मी.) व्यास से अधिक के लिए आवंटित नहीं किए जायेंगे। व्यावसायिक कनेक्शन क्रमशः 3/4 इंच अर्थात् (20 मि.मी.) औद्योगिक कनेक्शन 1 इंच अर्थात् (25 मि.मी.) व्यास से अधिक के लिए आवंटित नहीं किए जाएंगे। योजना के अधीन स्टैंड पोस्ट कनेक्शन कम संख्या में स्वीकृत किए जाएंगे।

(5) यदि उपभोक्ता द्वारा तीन माह से अधिक के लिए जल कर का भुगतान नहीं किया गया है तो पेयजल उप-समिति को आगामी माह में जल कनेक्शन के विच्छेदन की शक्ति होगी।

(6) यदि उपभोक्ता पेयजल का अपव्यय करता है, जांच पश्चात् यह प्रमाणित हो जाता है कि जल का अपव्यय हो रहा है तो उप-समिति प्रत्येक बार के अपव्यय के लिए न्यूनतम रुपये 100/- का जुर्माना अधिरोपित करेगी।

(7) पेयजल उप-समिति योजना के प्रबंधन, संचालन तथा संधारण के लिए आवश्यकतानुसार पंप ऑपरेटर कम प्लंबर मानदेय आधार पर नियुक्त करेगी।

(8) पेयजल उप-समिति, सचिव के लिए पेयजल उप-समिति योजना के अभिलेख (रिकार्ड) के संधारण हेतु मानदेय का उपबंध कर सकेगी।

(9) पेयजल उप-समिति आनुपातिक कमीशन आधार पर प्रस्तावित जलदर संग्रहण के प्रयोजन के लिए बिल संग्रहकर्ता को भाड़े पर रख सकती है।

(10) पेयजल उप-समिति पेयजल प्रदाय योजनाओं का प्रबंधन और संधारण या तो भागतः अथवा पूर्णतः बाह्य स्त्रोतों से अनुबंध के माध्यम से किसी अशासकीय/शासकीय संगठन से करा सकेगी।

10. समूह पेयजल प्रदाय योजना - (1) मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल स्त्रोत से ग्राम की सीमा तक समूह पेयजल प्रदाय योजना के संचालन, संधारण के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) यह जल थोक मीटर कनेक्शन के माध्यम से ग्राम को प्रदाय किया जाएगा।

(3) समूह पेयजल प्रदाय योजना के अधीन थोक जल दर राज्य सरकार/मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा नियत की जाएगी।

(4) मध्यप्रदेश सरकार को पेयजल प्रदाय योजना के प्रबंधन, संचालन तथा संधारण कार्य का या तो पूर्णतः अथवा भागतः किसी अशासकीय/शासकीय संगठन को अनुबंध के तौर पर देने की शक्ति होगी।

(5) ग्राम की पेयजल प्रदाय योजनाओं का आंतरिक जल वितरण तंत्र पेयजल उप-समिति के माध्यम से प्रबंधित, संचालित और संधारित किया जाएगा।

(6) पेयजल उप-समिति द्वारा समूह जलप्रदाय योजना की आंतरिक जल वितरण प्रणाली के संचालन तथा संधारण पर आय तथा व्यय के अभिलेख रखे जाएंगे। वार्षिक लेखे की समीक्षा जिला पंचायत/जनपद पंचायत के कर्मचारिवृंद के माध्यम से की जाएगी।

(7) गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए न्यूनतम कनेक्शन प्रभार रुपये 100/- तथा गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों के लिए रुपये 500/- प्रभारित किया जाएगा।

(8) उपभोक्ता को थोक जल प्रदाय की दशा में, पेयजल उप-समिति मीटर कनेक्शन और जल टैरिफ प्रभार के माध्यम से पेयजल प्रदाय करेगी जो प्रति किलो लीटर के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा।

(9) पेयजल उप-समिति उपभोक्ता से प्रत्येक माह की पांच तारीख तक जलकर संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगी तथा मध्यप्रदेश जल निगम/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को माह की दस तारीख तक थोक जल प्रभार का भुगतान करेगी।

अनुसूची-एक
[नियम 9 (1) देखिए]

अनुक्रमांक	नल कनेक्शन का प्रकार	जल कर की दर
(1)	(2)	(3)
1.	गृहस्थी (हाउस होल्ड) कनेक्शन	रुपये 60/- प्रति परिवार प्रति माह
2.	व्यवसायिक कनेक्शन	रुपये 200/- प्रति कनेक्शन प्रति माह
3.	औद्योगिक कनेक्शन	रुपये 1000/- प्रति कनेक्शन प्रतिमाह या जल मीटर के अनुसार
4.	स्टैंड पोस्ट उपयोगकर्ता	रुपये 15/- प्रति परिवार प्रति माह

अनुसूची-दो
[नियम 9 (3) देखिए]

अनुक्रमांक	नल कनेक्शन का प्रकार		नये कनेक्शन प्रतिभूति निक्षेप	नये कनेक्शन प्रभार
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	गृहस्थी	ए.पी.एल.	100/-	400/-
	(हाउस होल्ड) कनेक्शन	बी.पी.एल.	50/-	50/-
2.	व्यावसायिक कनेक्शन		1000/-	1500/-
3.	औद्योगिक कनेक्शन		2000/-	2000/-
4.	स्टैंड पोस्ट उपयोगकर्ता		-	-

ग्राम पंचायत क्षेत्र में कॉलोनियों का विकास नियम, 2014

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में निर्मित हो रही कॉलोनियों के विकास के संबंध में नये दिशा-निर्देश (नियम) बनाये गए हैं। इसके अनुसार जो व्यक्ति ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी कॉलोनी का विकास करने का आशय रखता है, उसे पंचायत आश्रय निधि में रजिस्ट्रीकरण शुल्क जमा कराना होगा और कॉलोनी विकसित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कॉलोनियों का विकास नियम की विस्तृत जानकारी मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की गई है जिसका यथावत प्रकाशन मध्यप्रदेश पंचायिका में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2014-पौष, शक 1936
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

क्रमांक एफ-16-11-2013-बाईस-पं.-2.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 61-क से 61-ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जिन्हें कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1 मार्च, 2014 में पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

नियम

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ एवं लागू होना -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014** है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

(3) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(4) ये नियम मध्यप्रदेश के ग्राम पंचायत क्षेत्रों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं -

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994);

(ख) **"अतिरिक्त आश्रय शुल्क"** से अभिप्रेत है बाह्य विकास कार्य के अनुरक्षण के बदले उद्गृहीत एवं संगृहीत शुल्क;

(ग) **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है जिन जिलों में नगर निगम है, उन जिलों के लिये जिले का कलक्टर एवं अन्य जिलों हेतु उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) उनकी अधिकारिता के अंतर्गत;

(घ) **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग"** से अभिप्रेत है ऐसे वर्ग के व्यक्तियों का समूह जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में विनिर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित किया गया हो। मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2014 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वार्षिक आय निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- रुपये 1,00,000 (रु. एक लाख) प्रति परिवार प्रतिवर्ष;

(ङ) **"बाह्य विकास कार्य"** से अभिप्रेत है नीचे दिए गए अनुसार विकास कार्य :-

(एक) कालोनी की बाहरी सीमा तथा ग्राम की विद्यमान सड़क के बीच नई सड़क का निर्माण (2 हेक्टेयर से कम की कालोनी के लिए न्यूनतम चौड़ाई 3.75 मीटर वहन मार्ग तथा 6 मीटर सड़क मार्ग। अन्य के लिए 7 मीटर विभाजित वहन मार्ग तथा सड़क के दोनों ओर 1.8 मीटर का स्कन्ध)।

(दो) कालोनी की बाहरी सीमा को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली विद्यमान सड़क का पुनर्निर्माण तथा चौड़ा किया जाना (2 हेक्टेयर से कम की कालोनी के लिए न्यूनतम चौड़ाई 3.75 मीटर वहन मार्ग तथा 6 मीटर सड़क मार्ग। अन्य के लिए 7 मीटर विभाजित वहन मार्ग तथा सड़क के दोनों ओर 1.8 मीटर का स्कन्ध)।

(तीन) कालोनी की सीमा से विद्यमान विद्युत ऊर्जा केन्द्र तक विद्युत लाइन बिछाना।

(चार) विद्यमान भूमिगत मलवहन प्रणाली को, यदि कोई हो, कालोनी की प्रणाली से जोड़ना :

परन्तु उपरोक्त विकास कार्य का निष्पादन कालोनाइजर द्वारा विहित मानकों के अनुसार किया जाएगा;

(च) **"परिवार"** से अभिप्रेत है अभिभावक तथा उनके अवयस्क बच्चों से मिलकर बनने वाली आधारभूत सामाजिक इकाई, जो एक समूह के रूप में समझी जाती हो, चाहे वह एक साथ निवास कर रहे हों या पृथक-पृथक;

(छ) **"तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)"** से अभिप्रेत है सभी तलों पर कुल आच्छादित क्षेत्र (कुर्सी क्षेत्र) को भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित करने से प्राप्त भागफल।

(ज) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप-1;

(झ) **"समूह गृह निर्माण"** से अभिप्रेत है एक से अधिक निवास एकक, जहां कि भूमि संयुक्त रूप से धारित हो (जैसा कि सहकारी सोसाइटियों या लोक अभिकरणों जैसे कि स्थानीय प्राधिकरणों या गृह निर्माण मण्डल आदि के मामले में है) तथा निर्माण का जिम्मा एक अभिकरण के द्वारा लिया गया है;

(ञ) **"आंतरिक विकास कार्य"** से अभिप्रेत है नीचे दिए गए विहित मानकों के अधीन कालोनी की सीमा के भीतर किया जाने वाला विकास कार्य:-

(एक) समतलीकरण

(दो) अभिन्यास में स्वीकृत प्रस्तावित सड़कों तथा भूखण्डों का सीमांकन।

(तीन) प्रस्तावित सड़कों का निर्माण जिसमें विद्यमान सड़कों का चौड़ा किया जाना (भारतीय रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार) सम्मिलित है।

(चार) पुलियों का निर्माण (भारतीय रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार)।

(पांच) प्रस्तावित नालियों का निर्माण (मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के मानकों के अनुसार)।

(छह) ऊर्ध्वस्थ पानी की टंकियों का अनिवार्य निर्माण, यदि कालोनी का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से अधिक है और सेप्टिक टैंक का निर्माण, यदि कालोनी का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक परन्तु 2 हेक्टेयर से कम है।

(सात) आंतरिक जल प्रदाय प्रणाली का निर्माण (मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के मानकों के अनुसार)।

(आठ) आंतरिक मलवहन नाली तथा सेप्टिक टैंक का निर्माण, यदि प्रस्तावित है तो (मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के मानकों के अनुसार)।

(नौ) आंतरिक विद्युत प्रणाली के अधीन विद्युत खंभों आदि का लगाया जाना। (मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के मानकों के अनुसार)।

(दस) सड़क के बगल में वृक्षारोपण, 4.5 फिट ऊँची चहारदीवारी के साथ बच्चों का खेल मैदान।

(ट) **"निम्न आय समूह"** से अभिप्रेत है ऐसे वर्ग के व्यक्तियों का समूह जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में विनिर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित किया गया हो;

मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 2014 द्वारा निम्न आय समूह के लिये वार्षिक आय निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-
निम्न आय समूह - आय, रुपये 1,00,001 (रु. एक लाख एक) से रुपये 2,00,000 (रु. दो लाख) तक प्रति परिवार प्रतिवर्ष;

(ठ) **"कच्ची भूमि"** से अभिप्रेत है कुल भूमि जिसके लिये कालोनाइजर अनुज्ञप्ति जारी की गई है;

(ड) **"विक्रय योग्य आवासीय क्षेत्र"** से अभिप्रेत है विकसित या विकसित किए जाने वाले आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्र अथवा निर्मित या निर्मित की जाने वाली निवास एकक का कुल निर्मित क्षेत्र, जिसके कि लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अभिन्यास अनुमोदित किया गया है;

(ढ) **"आश्रय शुल्क"** से अभिप्रेत है यथास्थिति भूमि अथवा तल क्षेत्र के आरक्षण के बदले, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर अवधारित उद्‌गृहीत एवं संगृहीत शुल्क;

(ण) **"उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अधीन नियुक्त उपखंड अधिकारी;

(त) **"आश्रय निधि"** से अभिप्रेत है इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्राप्त निधि की राशि।

अध्याय - दो
रजिस्ट्रीकरण

3. कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण -

(1) कोई व्यक्ति, जो किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी कालोनी का विकास करने का आशय रखता है, रजिस्ट्रीकरण के लिए इन नियमों से संलग्न प्ररूप-1 में, उसमें वर्णित दस्तावेजों और संबंधित जिला पंचायत आश्रय निधि में रजिस्ट्रीकरण शुल्क जमा कराए जाने के सबूत के रूप में रसीद की एक प्रति के साथ, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए गए आवेदन का यथासंभव शीघ्र साठ दिन की कालावधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाएगा। आवेदन निरस्त कर दिए जाने की दशा में ऐसे निरस्त किए जाने के कारणों को लिखित में सूचित किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन के निरस्त किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे निरस्त किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इन नियमों से संलग्न प्ररूप-2 में जारी किया जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी को इन नियमों अथवा अधिनियम में यथा उल्लिखित निबंधनों और शर्तों से अन्यथा विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के परामर्श से अन्य शर्तें अधिरोपित करने की शक्ति होगी।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जब तक कि पूर्व में ही प्रतिसंहृत न कर लिया जाए, पांच वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगा तत्पश्चात् आवेदन पर यह नवीकरण शुल्क के भुगतान पर और पांच वर्ष की कालावधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के दौरान कालोनाईजर जिले के किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कालोनियों का विकास करने हेतु प्राधिकृत होगा।

4. रजिस्ट्रीकरण शुल्क - रजिस्ट्रीकरण शुल्क रुपए 50,000/- (रुपए पचास हजार केवल) होगा और नवीकरण शुल्क रुपए 10,000/- (रुपए दस हजार केवल) होगा, जो कि संबंधित जिला पंचायत की आश्रय निधि में जमा किया जाएगा।

5. रजिस्ट्रीकरण हेतु निरर्हताएं -

कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा, यदि -

(एक) (1) वह निम्नलिखित के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है :-

(क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 420;

(ख) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22); और

(ग) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 15)।

(2) यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया गया है।

(3) जिसका रजिस्ट्रीकरण इन नियमों के अंतर्गत पूर्व में प्रतिसंहृत कर लिया गया था।

(4) यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है।

(दो) उपरोक्त उप नियम (1) में यथावर्णित कोई व्यक्ति किसी भी ऐसी कालोनाईजर फर्म का भागीदार अथवा किसी ऐसी सोसाइटी या कंपनी का संचालक नहीं होना चाहिए, जिसने कि रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया है।

6. रजिस्टर का रखा जाना - सक्षम प्राधिकारी आम पहुंच में रखे जाने के लिए कार्यालय में तथा ऑनलाइन दोनों स्थिति में इन नियमों से संलग्न प्ररूप-3 में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें इन नियमों के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के संपूर्ण ब्यौरे निबंधनों तथा शर्तों के साथ प्रविष्ट किए जाएंगे। रजिस्ट्रीकरण के दौरान दी गई सारवान जानकारी में किसी परिवर्तन की दशा में कालोनाईजर सक्षम प्राधिकारी को उसकी सूचना देगा।

7. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का रद्द किया जाना - जहां कोई कालोनाईजर नियम 9 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किए बिना अथवा मंजूर की गई अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन में कालोनी का विकास कार्य आरंभ करता है अथवा भूखण्डों का विक्रय करता है, अथवा रजिस्ट्रीकरण के समय उसने गलत जानकारी दी है अथवा अधिनियम या नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है तो सक्षम प्राधिकारी, ऐसी अन्य विधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जैसी कि मामले की परिस्थितियों में समुचित समझी जाए, और लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करेगा और उसकी सूचना संबंधित कालोनाइजर को देगा :

परन्तु कोई भी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि कालोनाइजर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

8. अपील - धारा 7 के अधीन पारित रद्दकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

अध्याय-तीन
कालोनी के विकास के लिए अनुज्ञा

9. कालोनी के विकास के लिए आवेदन तथा अनुज्ञा शुल्क -

(1) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत कालोनाईजर कोई कालोनी विकसित करने का आशय रखता है और विकास कार्य हाथ में लेता है, तो वह प्ररूप-4 में सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) कालोनी के विकास की अनुज्ञा के लिए शुल्क रुपए 10000/- (रुपए दस हजार केवल) प्रति हैक्टेयर की दर से देय होगा।

(3) कालोनाईजर द्वारा शुल्क संबंधित जिला पंचायत की आश्रय निधि में जमा किया जाएगा और आवेदन के साथ संदाय के सबूत के रूप में रसीद की छायाप्रति संलग्न की जाएगी।

(4) किसी विशेष मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी, आवेदक से ऐसे दस्तावेज एवं जानकारी, प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा जो कि वह आवश्यक समझे।

(5) सक्षम प्राधिकारी आवेदन निरस्त कर देगा, यदि अपेक्षित शुल्क जमा नहीं किया गया है और अपेक्षित दस्तावेज या तो प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या व्यवस्थित क्रम में नहीं हैं।

(6) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन को उसकी प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर विनिश्चित करेगा :

परन्तु अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी प्राप्त करने में ली गई कालावधि को साठ दिन की कालावधि में से अपवर्जित कर दिया जाएगा। निरस्तीकरण की स्थिति में उसके कारणों को आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क का 90% वापस किया जाएगा।

(7) सक्षम प्राधिकारी, नियम 10, 11 और 16 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात् प्ररूप-5 में कालोनी को विकसित करने की अनुज्ञा प्रदान करेगा। प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसा कि वह उपयुक्त समझे।

(8) यदि आवेदक को उपरोक्त उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर आवेदन के निराकरण के बारे में सक्षम प्राधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो वह लिखित में पत्र द्वारा तथ्यों को सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में लाएगा यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे पत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर कोई आदेश जारी नहीं करता है तो अनुज्ञा प्रदान कर दी गई समझी जाएगी।

10. प्रस्तावित कालोनी का अभिन्यास -

(1) जहां विकसित की जाने वाली प्रस्तावित कालोनी, मध्यप्रदेस नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन गठित किए गए किसी निवेश क्षेत्र (प्लानिंग एरिया) में स्थित है, वहां नियम 9 के अधीन आवेदन के साथ अनुमोदित अभिन्यास एवं इन

नियमों से संलग्न प्ररूप-6 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उपबंधित किये गये अनुसार संलग्न किया जाएगा।

(2) जहां विकसित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किये गये किसी निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित हो, वहां उपखंड अधिकारी (राजस्व) संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी के सक्षम प्राधिकारी से अभिमत प्राप्त करेगा। स्वीकारात्मक अभिमत प्राप्त होने के पश्चात् ही मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 172 के अधीन उक्त भूमि का व्यपवर्तन आदेश जारी किया जाएगा। अभिन्यास (लेआउट) का अनुमोदन हो जाने तथा व्यपवर्तन आदेश जारी हो जाने के पश्चात् मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (5) के खण्ड (ख) के अधीन अधिकारिता रखने वाले अधिकारी द्वारा भवन अनुज्ञा मंजूर की जाएगी।

11. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए भू-खण्डों या निवास एककों का प्रावधान -

(1) विकसित भूखण्डों के मामले में कालोनाईजर विक्रय योग्य क्षेत्र का 6 प्रतिशत (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिये (प्रत्येक के लिये 3 प्रतिशत) तथा निवास एककों के मामले में कुल निर्मित क्षेत्र का 6 प्रतिशत (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिये) (प्रत्येक के लिये 3 प्रतिशत) आरक्षित रखा जाएगा :

परन्तु यदि कालोनी का कुल क्षेत्रफल 02 हेक्टेयर से कम है तो कालोनाईजर यथास्थिति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए उसी कालोनी में विकसित भूखण्ड/निवास एकक आरक्षित रखेगा तथापि, यदि कॉलोनी का क्षेत्रफल (एरिया) 02 हेक्टेयर से अधिक है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के लिए 6 प्रतिशत विकसित भूखण्ड/निवास एकक उसी परिसर में आरक्षित रखने के बदले में मुख्य परिसर से 2 किलोमीटर की परिधि के भीतर आरक्षित रखे जा सकेंगे। तथापि, ऐसी अनुज्ञा कालोनाईजर द्वारा, कालोनी का विकास/गृह निर्माण करने की अनुमति अभिप्राप्त करते समय ही अभिप्राप्त की जाएगी।

(2) इस नियम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए आरक्षित किए गए विकसित भूखण्डों का क्षेत्रफल तथा निवास एककों का निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगा :-

(एक) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए -

विकसित भूखण्ड - 30 से 40 वर्गमीटर

निवास एकक - 25 से 35 वर्गमीटर

(दो) निम्न आय समूहों के लिए -

विकसित भूखण्ड - 41 से 96 वर्गमीटर

निवास एकक - 36 से 48 वर्गमीटर

12. आश्रय शुल्क -

(1) जहां कि उस क्षेत्र का, जिस पर कालोनी विकसित की जा रही है, भूमि उपयोग, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के उपबंध के अधीन तैयार की गई लागू विकास योजना में इस प्रकार है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए विहित भूखण्ड का आकार अनुज्ञेय नहीं है तो आश्रय शुल्क लागू होगा।

(2) जहां कि कालोनी का विकास उस भूमि पर किया जा रहा है जो राज्य सरकार द्वारा कालोनाईजर को पट्टे पर दी गई है और पट्टे की शर्तों में निवास एककों का निर्माण करने या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों को भू-खण्ड उपलब्ध कराने की अनुज्ञा नहीं है तो आश्रय शुल्क लागू होगा।

(3) कालोनाईजर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए भूखण्ड/भवन आरक्षित न करने की दशा में निम्नानुसार आश्रय शुल्क जमा करना होगा -

(एक) जिस कालोनी में काटे गए भूखण्ड विकसित किए, ऐसी अविकसित भूमि/कच्ची भूमि (रा लेण्ड) की दशा में, कच्ची भूमि का 6 प्रतिशत कलक्टर गाइडलाइन रेट की दर पर और विकास की लागत के लिए रुपये 5000 प्रति वर्गमीटर।

(दो) आवासीय इकाईयों वाली अविकसित भूमि/कच्ची भूमि (रा लेण्ड) की दशा में, कच्ची भूमि का 6 प्रतिशत कलक्टर गाइडलाइन रेट की दर और रुपये 5000 प्रति वर्गमीटर विकास तथा निर्माण की लागत के लिए रुपये 10,000 प्रति वर्गमीटर कुल निर्मित क्षेत्रफल का कुल 6 प्रतिशत पर।

13. अतिरिक्त आश्रय शुल्क -

(1) प्रत्येक कालोनाईजर बाह्य सड़कों, जल-निकास तथा मल-प्रवाह प्रणाली के संधारण के लिए अतिरिक्त आश्रय शुल्क जमा करेगा।

(2) ऐसी कालोनी की दशा में जिसमें कि भूखण्ड विकसित किए गए हों, आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) तथा कुल अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात का गुणनफल रु. 100/- प्रति वर्गमीटर की दर पर।

(3) किसी समूह आवास कालोनी की दशा में कालोनाईजर द्वारा कुल अनुज्ञेय निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में) के गुणनफल का रुपये 100/- प्रति वर्गमीटर की दर पर।

14. आश्रय शुल्क का जमा किया जाना -

(1) नियम 12 तथा 13 के अधीन विहित आश्रय शुल्क कालोनाईजर द्वारा संबंधित जिला पंचायत की आश्रय निधि में जमा किया जाएगा। प्रत्येक जिला पंचायत इस प्रकार जमा की गई राशि का एक पृथक खाता संधारित करेगी, तथापि, राज्य सरकार उस रीति का और निर्देश दे सकेगी जिसमें निधियों का उपयोग किया जा सकेगा।

(2) आश्रय शुल्क की संगणना करने के लिए कलक्टर द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी दर वह दर होगी जो कि उस तारीख को जिसको कि कालोनाईजर कालोनी के विकास की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करता है, प्रचलित थी।

15. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के लिए आरक्षित भू-खण्डों का विक्रय - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के लिए आरक्षित भू-खण्ड/निवास एककों का कालोनाईजर द्वारा निम्नलिखित रीति में विक्रय किया जाएगा :-

(1) कालोनाईजर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के ऐसे व्यक्तियों से, जिनका मध्यप्रदेश में कहीं भी या तो स्वयं उसके नाम से या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के नाम से कोई आवास या आवासीय भू-खंड (ग्राम की आबादी में आवासीय भू-खण्ड को छोड़कर) नहीं है।

(2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के ऐसे व्यक्ति जो ऐसे भूखण्ड/निवास एककों में रुचि रखते हों, मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने के स्वघोषित प्रमाण-पत्र के साथ, इन नियमों से संलग्न प्ररूप 10 में, सम्यक् रूप से स्वघोषणा पर यह घोषित करते हुए कि उसका मध्यप्रदेश के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं के नाम पर अथवा उसके कुटुंब के किसी सदस्य के नाम पर कोई आवास/कोई भूखण्ड नहीं है, आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) कालोनाईजर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के, नियमों के अधीन पात्र आवेदकों के नाम दस्तावेजों की एक प्रति के साथ भू-खण्ड/निवास एकक खरीदने के लिए कलक्टर को भेजेगा। कलक्टर प्राप्ति की अभिस्वीकृति देगा। कलक्टर, उनकी प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आवेदनों की छानबीन करेगा; और आवेदकों की पात्रता के बारे में अपना समाधान करेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के भूखण्ड/निवास एकक क्रय करने के लिए पात्र पाए गए व्यक्तियों की अंतिम सूची कालोनाईजर को देगा।

(4) उस दशा में जहां कि कलक्टर कालोनाईजर द्वारा प्रस्तुत की गई सूची पर 30 दिन के भीतर आदेश पारित नहीं करता है तो कालोनाईजर सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को भू-खण्ड/निवास एकक बेचने के लिए स्वतंत्र होगा और उनके पक्ष में आवश्यक विक्रय विलेखों का निष्पादन करेगा।

(5) यदि कालोनाईजर अपात्र व्यक्तियों को भूखण्ड/निवास एकक आवंटित करता है अथवा उसी कुटुंब के सदस्यों को एक से अधिक भूखण्ड या निवास एकक आवंटित करता है तो कालोनाईजर दांडिक कार्रवाई के अलावा उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

16. भूखण्ड/निवास एककों को बंधक रखे जाने के लिए प्रक्रिया - कालोनाईजर सक्षम प्राधिकारी के पास निम्नानुसार भूखण्ड बंधक रखेगा -

(1) जहां कालोनी भूखण्ड काटकर या समूह आवास या निवास एककों के रूप में विकसित की गई है, वहां विकसित भूखण्डों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत/या यथास्थिति ऐसे निवास एककों का 25 प्रतिशत संबंधित जिला कलेक्टर के पास बंधक रखेगा।

(2) बंधक विलेख निष्पादित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कालोनाईजर द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर दिए जाएंगे और उसकी विशिष्टियां जिला पंजीयक को दी जाएंगी।

17. मार्गदर्शी दरों का अवधारण करने में कठिनाईयों का दूर किया जाना - उस दशा में, जहां कि इन नियमों के अधीन किन्हीं उपबंधों में वर्णित मार्गदर्शी दरों के आधार पर मूल्य निर्धारण में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो मामला कलक्टर को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका

विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे क्षेत्रों में जहां कि आवासीय भूखण्डों अथवा निर्मित आवास गृहों के लिए मार्गदर्शी दरें उपलब्ध नहीं हैं, वहां कलक्टर निकटतम क्षेत्र की दरों को विचार में लेते हुए दरें विहित करेगा।

18. सामान्य शर्तें -

(1) कालोनाईजर बाह्य मार्ग, जल निकास और मल वहन प्रणाली को ग्राम पंचायत को सौंपेगा और ग्राम पंचायत उनका संधारण करेगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी, प्ररूप-9 में, यह निदेश देते हुए एक आदेश भी जारी करेगा कि कालोनी रहवासी कल्याण संघ को उसके संधारण के लिए तत्काल अंतरित की जाए :

परन्तु जब विकास की अनुज्ञा चरणवार दी गई है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र चरणवार ही जारी किया जाएगा।

19. कालोनी के आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने के लिए कालावधि -

(1) कालोनाईजर, नियम 9 में यथाविहित कालोनी के विकास की अनुज्ञा दिए जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करेगा।

(2) यदि कालोनाईजर उपरोक्त उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विकास कार्य पूर्ण नहीं करता है तो वह सक्षम प्राधिकारी जिसने अनुज्ञा दी है, विकास कार्य पूर्ण करने के लिए कालोनाईजर को निदेश दे सकेगा और नियम 16 के अधीन बंधक रखे गए भूखण्ड/निवास एककों का मोहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विक्रय किया जा सकेगा तथा इस प्रकार प्राप्त रकम कार्य पूर्ण करने हेतु उपयोग में लाई जा सकेगी :

परंतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि इस प्रकार प्रभावित कालोनाईजर को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाए।

20. बंधक निर्मोचन - कालोनाईजर, विकास कार्य के पूर्ण होने की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी और संबंधित ग्राम पंचायत को करेगा। कार्य के पूर्ण होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर कालोनी का निरीक्षण करेगा या ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करवाएगा। यदि ऐसा निरीक्षण किए जाने पर यह पाया जाता है कि बाह्य और आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह के भूखण्ड/निवास एकक विकसित और आवंटित कर दिए गए हैं, तो सक्षम प्राधिकारी प्ररूप 7 में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करेगा और भूखण्डों और निवास एककों के संबंध में इन नियमों से संलग्न प्ररूप 8 में आदेश जारी करते हुए बंधक संपत्ति निर्मोचित करेगा।

अध्याय-चार
अवैध कालोनी का प्रबंधन

21. कालोनी का प्रबंधन -

(1) यदि सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में यह तथ्य आता है कि कालोनाईजर द्वारा भूखण्डों का अन्तरण या अन्तरण किए जाने का करार अवैध व्यपवर्तन या अवैध कालोनाईजेशन के क्षेत्र में आता है तो वह तत्काल ऐसी भूमि के प्रबंध को अपने अधिकार में ले लेगा और एक सूचना जारी करेगा तथा उसे उस जिले की अधिकारिता में, जिसमें कि ग्राम पंचायत आती है, परिचालित कम से कम दो हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और उक्त भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों से, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर यह कारण बताने के लिए कहेगा कि उक्त कालोनी का प्रबंधन सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्यों न ले लिया जाए?

(2) सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी सूचना के संबंध में प्राप्त हुई आपत्तियों या सुझावों पर, यदि कोई हों, विचार करेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने कोई आपत्ति उठाई हो, या तो स्वयं या उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ सुनवाई हेतु उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी पक्षकारों को सुनने के पश्चात् मामले में ऐसी और जांच कर सकेगा जो कि वह उचित समझे -

(एक) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि भूमि का अवैध व्यपवर्तन नहीं किया गया है या अवैध रूप से कालोनी नहीं बसाई गई है तो वह कार्यवाहियां बंद कर सकेगा।

(दो) यदि उसे किसी अवैध व्यपवर्तन या उस पर अवैध रूप से कालोनी बसाने का पता चलता है तो वह भूमि का प्रबंध अपने हाथ में ले सकेगा और जहां ऊपर विहित रीति में भूमि का प्रबंधन अपने अधिकार में ले लिया जाता है, वहां सक्षम प्राधिकारी ऐसी भूमि के विकास और उसे भूखण्डधारियों को, यदि कोई हों, वितरित करने के लिए स्कीम तैयार करेगा और इस प्रकार तैयार की गई स्कीम जन साधारण की जानकारी के लिए, ऐसी रीति में जैसी कि वह उचित समझे, प्रकाशित की जाएगी।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि के प्रबंधन पर उपगत व्यय भूमि के विकास प्रभारों में सम्मिलित किए जाएंगे और उन व्यक्तियों से जिन्हें कि स्कीम के अधीन भूखण्ड आवंटित किए गए हों, यथानुपात या किसी किराए के आधार पर वसूली योग्य होंगे।

(5) सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 61-ङ और 61-ङक के अधीन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा।

22. शिथिलीकरण - इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह राज्य सरकार की किसी ऐसे मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो।

23. निर्वचन - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा। उस पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

24. निरसन - मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 निरसित हो जाएंगे :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

प्ररूप-1

[नियम 3 (1) देखिए)]

रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी,

.....

विषय - कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन।

(1) रजिस्ट्रीकरण हेतु विहित फीस रु..... निधि में रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... (सत्यप्रति संलग्न है) द्वारा जमा कर दी गई है।

(2) अन्य अपेक्षित ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(एक) आवेदक का नाम .....

(दो) वर्तमान पता .....

(तीन) स्थायी पता .....

(3) क्या आवेदक एक निजी/सार्वजनिक कंपनी/ निजी कंपनी/फर्म/संघ या सोसाइटी है? .....

(4) आवेदक की वृत्ति (प्रोफेशन) या कारबार .....

(5) क्या आवेदक ने इस आवेदन की तारीख के पूर्व कोई भूमि/कालोनी विकसित की है? यदि हां तो उसके ब्यौरे दीजिए .....

(6) क्या आवेदक के पास कालोनी विकसित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन हैं? (विवरण दीजिए) .....

(7) क्या आवेदक नियमों में सूचीबद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है? .....

(8) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा क्रमांक (पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रस्तुत की गई आयकर विवरणियों की प्रति संलग्न करें) .....

(9) संयुक्त हित की प्रकृति, यदि कोई हो .....

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और मैं/हम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

स्थान : ..... भवदीय

दिनांक : .....

नाम .....

.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप-2

[नियम 3 (4) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

दिनांक ..... रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति/फर्म/कंपनी/सोसाइटी जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2013 के उपबंधों के अधीन कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, अर्थात् :-

श्री/श्रीमती/मेसर्स .....

पुत्र/पुत्री/पत्नी .....

निवासी .....

मोहल्ला .....

ग्राम/वार्ड .....

नगर/कस्बा .....

तहसील .....

जिला .....

रजिस्ट्रीकरण के निर्बन्धन तथा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

(1) यह रजिस्ट्रीकरण जिले तक सीमित है।

(2) कालोनाईजर को प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी के विकास की पूर्व सूचना देनी होगी।

(3) विकास कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक कालोनी के लिए पृथक से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

टिप्पण : कालोनी का विकास, उसका विकास कार्य, भूखण्डों/भवनों का विक्रय सिर्फ तभी विधिमान्य होगा, यदि कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा नियमों में विहित किए गए अनुसार प्राप्त की गई है।

स्थान : ..... नाम तथा हस्ताक्षर

तारीख : ..... सक्षम प्राधिकारी की मुद्रा

प्ररूप-3

(नियम 6 देखिए)

रजिस्टर

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक .....
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का दिनांक तथा वर्ष .....

3. जिले का नाम .....
4. कालोनाईजर का नाम तथा पत्र जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया .....
5. पिता/पति का नाम .....
6. यदि कालोनाईजर कोई फर्म, कंपनी, संगठन या सोसाइटी है तो सभी भागीदारों/पदाधिकारियों के नाम .....
7. वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किया गया है .....
8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करने की तारीख यदि कोई हो और रद्द करने के संक्षिप्त कारण .....
9. आवेदन की प्राप्ति की तारीख .....
10. कालोनी के विकास के लिए नियम-9 के अधीन अनुज्ञा के जारी होने की तारीख .....

स्थान .....
तारीख .....

नाम तथा हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी की मुद्रा

प्ररूप-4
(नियम 9 देखिए)
कालोनी के विकास के लिए आवेदन

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी,
जिला .....
मध्यप्रदेश।

विषय - कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा हेतु आवेदन।

1. आवेदक का पूरा नाम (कृपया उल्लेख करें कि व्यक्ति, फर्म, सहकारी सोसाइटी या सोसाइटी है या किसी अन्य वर्ग का है) .....
2. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख .....
3. वर्तमान पता .....
4. विकसित की जाने वाली भूमि के सर्वे क्रमांक तथा क्षेत्रफल के हेक्टेयर में ब्यौरे .....
5. भूमि के अधिकार का राजस्व अभिलेख .....
6. आवेदक के स्वामित्व की अचल संपत्ति के ब्यौरे .....
7. क्या उसने यह आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व कोई भूमि/कालोनी विकसित की है, यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे दीजिए .....
8. भूमि/कालोनी के विकास हेतु वित्तीय संसाधनों के ब्यौरे .....

9. क्या आवेदक को कभी किसी अपराध के लिए ..... दोषसिद्ध ठहराया गया है ? यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे दीजिए

10. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं .....

(क) कालोनी के विकास की अनुज्ञा के लिए विहित फीस रु. ..... (रुपये .....) निधि में रसीद क्रमांक..... तारीख..... (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा जमा कर दी गई है।

(ख) उस भूमि के संबंध में जिस पर कालोनी के विकास हेतु अनुज्ञा चाही गई है, पर अधिकार, स्वत्व या स्वामित्व के सब-रजिस्ट्रार, द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र व रजिस्ट्रीकरण के दस्तावेजों की सत्य प्रति।

(ग) विकसित की जाने वाली भूमि के व्यपवर्तन प्रमाण पत्र की सत्य प्रति।

(घ) प्रस्तावित विकास तथा अभिन्यास योजना।

(ङ) बंधक किए जाने वाले भूखण्डों के ब्यौरे।

(च) कालोनी के विकास कार्य के लिए अनुमानित व्यय की विवरणी जो किसी अर्हता प्राप्त अभियंता द्वारा प्रमाणित की गई हो तथा रकम की जमा की रसीद की क्रमांक व दिनांक विनिर्दिष्ट करने वाली सत्य प्रति।

मैं/हम, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दिए गए ब्यौरे सही हैं और मैं/हम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ/हैं। कृपया मुझे/हमें कालोनी विकास की अनुज्ञा प्रदान करें।

स्थान .....

तारीख .....

भवदीय

हस्ताक्षर

आवेदक कालोनाईजर का नाम .....

प्ररूप-5

[नियम 9 (7) देखिए]

कालोनी विकसित करने हेतु अनुज्ञा

अनुज्ञा क्रमांक ..... **दिनांक.....**

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के अधीन एतद्द्वारा ..... कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है -

श्री/श्रीमती .....

पुत्र/पुत्री/पत्नी .....

निवासी .....

मोहल्ला .....

ग्राम/वार्ड .....

कस्बा .....

तहसील .....

जिला .....

भूमि के ब्यौरे .....

खसरा क्रमांक .....

कुल क्षेत्र ..... हेक्टेयर, ग्राम .....

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

1. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के उपबंधों के अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिए लागू शर्तों का पालन करना होगा।

2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु अनुज्ञा के अधीन लागू शर्तों का पालन करना होगा।

3. विकास/निर्माण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए भूखण्डों/भवनों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

स्थान .....

तारीख .....

नाम तथा हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी की मुद्रा

प्ररूप-6

[नियम 10 (1) देखिए]

रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कालोनाईजर ..... द्वारा ..... कालोनी का अधिन्यास मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) में विहित विकास मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
वास्तुविद् का नाम .....
रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....
(वास्तुविद् परिषद् द्वारा जारी किया गया)

प्ररूप-7

(नियम 20 देखिए)

पूर्णता प्रमाण पत्र

कालोनाईजर ने ..... कालोनी के विकास कार्य की पूर्णता की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर, ग्राम पंचायत के प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से विकास कार्य का निरीक्षण किया गया।

दिनांक ..... को निरीक्षण करने पर विकास कार्य पूर्ण तथा संतोषजनक होना पाया गया।

स्थान .....

दिनांक .....

नाम तथा हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी की मुद्रा

प्ररूप-8

(नियम 20 देखिए)

आदेश

(बंधक भूमि/निवास एकक को निर्मुक्त करने हेतु)

क्रमांक .....

1. यह कि कालोनाईजर द्वारा दिनांक ..... (दिनांक का उल्लेख करे) को कालोनी ..... (कालोनी के ब्यौरे) का विकास कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

2. यह कि कालोनाइजर ने दिनांक ..... (दिनांक का उल्लेख करे) को पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

3. यह कि विकास कार्य का ग्राम पंचायत के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया तथा दिनांक ..... को किए गए निरीक्षण में विकास कार्य का पूर्ण तथा संतोषजनक होना पाया गया। अतएव, नीचे वर्णित बंधक सम्पत्ति एतद्द्वारा निर्मुक्त की जाती है।

बंधक संपत्ति का विवरण

.....

.....

स्थान .....
दिनांक .....

नाम तथा हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी की मुद्रा

प्रतिलिपि -

1.
2.
3.

नाम तथा हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी की मुद्रा

प्ररूप-9

[नियम 18 (2) देखिए]

क्रमांक .....

आदेश

कालोनाईजर द्वारा कालोनी का विकास कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, अतएव कालोनी एतद्द्वारा संधारण के लिए रहवासी कल्याण संघ को हस्तान्तरित की जाती है।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
सक्षम प्राधिकारी .....
मुद्रा .....

प्ररूप-10

[नियम 15 (2) देखिए]

विकसित भूखण्ड/निवास एकक के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों हेतु स्वयं का घोषणा-पत्र का प्रपत्र

[मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के अधीन रुपये 100 से अनिम्न मूल्य के समुचित गैर न्यायिक स्टाम्प पर निष्पादित किया जाए]

स्वयं का घोषणा-पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि -

1. यह कि मैं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के अधीन विकसित भूखण्ड/निवास एकक क्रय करने का आशय रखता हूँ/रखती हूँ।

2. मैं एतद्द्वारा कथन करता हूं/करती हूं कि मैं मध्यप्रदेश राज्य का/की वास्तविक निवासी हूं और न तो मेरे और न मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से मध्यप्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी कोई मकान/भूखण्ड है।

3. यह कि मैंने इस घोषणा पत्र के साथ सुसंगत दस्तावेज संलग्न किए हैं।

4. मैं यह भी कथन करता हूँ/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी मिथ्या/असत्य या अप्राप्त पाई जाती है तो मैं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के अधीन मुझे दिया गया विकसित भूखण्ड/निवास एकक छोड़ दूंगा तथा दाण्डिक कार्रवाई का दायी भी हो जाऊंगा।

स्थान .....
दिनांक .....